RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष २, अंक १३] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १०-१६, २०१६/कार्तिक १९-२५, शके १९३८ [पृष्ठे ६३

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९, सन् २०१४.— डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४. . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३०, सन् २०१४.— महाराष्ट्र भू. राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१४ . .	५५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१, सन् २०१४.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३ . .	५७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२, सन् २०१४.— महाराष्ट्र वन उपज (व्यापार का विनियमन संशोधन) अधिनियम, २०१४ . .	५८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३, सन् २०१४.— दंड प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २००६ . .	६०
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४, सन् २०१४.— महाराष्ट्र नगर निगम तथा परिषद (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२. . .	६१

MAHARASHTRA ACT No. XXIX OF 2014.

THE DR. BABASAHEB AMBEDKAR TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

संगीतराव पाटील,
प्रभारी प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIX OF 2014.

AN ACT TO ESTABLISH AND INCORPORATE A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN THE STATE OF MAHARASHTRA

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि, महाराष्ट्र राज्य में प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित और निर्गमित करने और उस संबंधी जुडे हुए मामलों के लिए, उपबंध करना इष्टकर समझा गया है ; इसलिए भारत गणराज्य के पैंसठवे वर्ष में एतदद्वारा निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (एक) यह अधिनियम डा. बाबासाहब आम्बेडकर प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ कहलाए।

(दो) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(१) " अकादमिक परिषद " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद से है ;

(२) " अकादमिक कर्मचारीवृंद " का तात्पर्य, ऐसे कर्मचारी का वर्ग जिन्हें विश्वविद्यालय के कर्मचारी के रुप में पदाभिहित किया गया है से है ;

(३) " संबद्ध महाविद्यालय " का तात्पर्य, ऐसे महाविद्यालय से है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संबंध्दता मंजूर की गई है से है ;

(४) " नियत दिन " का तात्पर्य, अध्याय एक की उप-धारा (२) के अधीन अधिसूचित दिन से है ;

(५) " स्वायत्तता " का तात्पर्य, महाविद्यालय संस्था या विश्वविद्यालय विभाग को, अकादमिक कार्यक्रम चलाने या परीक्षाएँ लेने संबंधित विषयों के लिए पाठ्यविवरण मे सुधार करने तथा परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाणपत्र निर्गमित करने आदि की अनुमति देने के लिए परिनियमों द्वारा प्रदत्त विश्वविद्यालयों के विशेषाधिकार से है। ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय विभाग जिसे स्वायत्तता दी गई है, इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्याधीन पूर्ण अकादमिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता होंगी ;

(६) " स्वायत्त महाविद्यालय ", " स्वायत्त संस्था " या " स्वायत्त विभाग " का तात्पर्य, परिनियमों द्वारा इस प्रकार पदाभिहित ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग से है जिन्हें स्वायत्तता अनुदत्त की गयी है ;

(७) " पाठ्य बोर्ड " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड से है ;

(८) " कुलाधिपति " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है ;

(९) " महाविद्यालय " का तात्पर्य, महाविद्यालय के क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले या विश्वविद्यालय से सहबद्ध महाविद्यालय से है ;

(१०) " संचालित महाविद्यालय " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय से है ;

(११) " निरधिसूचित जाति **(विमुक्त जाति)** " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित किए गए जाति से है ;

(१२) " विभाग " का तात्पर्य, परिनियमों द्वारा, किसी विषय या विषयों के संदर्भ में, पदाभिहित विभाग से है ;

(१३) " निदेशक " का तात्पर्य, संस्था के प्रमुख से है, जिसमें प्रादेशिक केंद्र या विश्वविद्यालय का संकाय शामिल है ;

(१४) " तकनीकी शिक्षा निदेशक " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक से है ;

(१५) " डीन " का तात्पर्य, हर संकाय के डीन से है ;

(१६) " अनुसंधान और विकास का डीन " का तात्पर्य, अभिवृद्धि पाठ्य के हर केंद्र का प्रमुख जो अनुसंधान और विकास का प्रमुख नियुक्त किया गया हो से है, जो ऐसे विनिर्दिष्टित कार्य करता हो, जिसमें अनुदेश, अध्यापन, प्रशिक्षण या अनुसंधान शामिल हो से है;

(१७) " कार्यकारी परिषद " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद से है ;

सन् १९८९ का महा. २२।

(१८) " विद्यमान विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, डा. बाबासाहेब आम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ के अधीन गठित डा. बाबासाहेब आम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से है ।

(१९) " विस्तार शिक्षा और सेवा " का तात्पर्य, राज्य के पिछडे क्षेत्रों के तकनीकी स्थानांतरण के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा हाथ में लिए गए नियमित प्रशिक्षण क्रियाकलापों से अन्य शैक्षिक कियाकलाप और जिसमें विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए ग्रामवासी या परिवारों के समूहों को संगठित करना और उन्हें उनके लिए उपलब्ध हो ऐसी आवश्यक सेवा, सहायता और मदद, संबंधित क्वार्टर जिसमें राज्य सरकार द्वारा स्थापित सरकारी विभाग और विभिन्न निगम शामिल है, ऐसे कार्य विश्वविद्यालय द्वारा हाथ में लिए गए है, शामिल है से है ;

(२०) " संकाय " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के संकाय से है ;

(२१) " वित्त समिति " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के वित्त समिति से है ;

(२२) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र की सरकार से है ;

(२३) " शिकायत समिति " का तात्पर्य, संबंधित कर्मचारी की शिकायत की जाँच पडताल के लिए गठित की हुई समिति से है ;

(२४) " छात्रवास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा उपबंधित, संपोषित या अभिज्ञात सहबद्ध विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्थाअें के छात्रों के लिए आवास के स्थान से है ;

(२५) " संचालित समिति का प्रमुख " का तात्पर्य, संस्था में प्रमुख रुप से अनुदेश या अनुसंधान के लिए जिम्मेवार शिक्षक से है ;

(२६) " विभाग का प्रमुख " का तात्पर्य, विभाग में प्रमुख रुप से अनुदेश, प्रशिक्षण या अनुसंधान के लिए जिम्मेवार शिक्षक से है ;

(२७) " मान्यताप्राप्त संस्था का प्रमुख " का तात्पर्य, संस्था में प्रमुख रुप से प्रशासन और अध्यापन के लिए जिम्मेवार व्यक्ति से है ;

(२८) " संस्था " का तात्पर्य, उच्चतर विद्या की अकादमिक संस्था से है जो विश्वविद्यालय का सहयोगी महाविद्यालय नहीं है तथा विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार उसे नहीं मिलते है ;

(२९) " स्थानीय प्रबंधन समिति " का तात्पर्य, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन महाविद्यालय के लिए गठित समिति से है ;

(३०) " प्रबंधन " का तात्पर्य, न्यासी या प्रबंध या शासी निकाय चाहे जो भी नाम से पुकारा जाए ; बम्बई सार्वजनिक न्यास अधिनियम, १९५० के अधीन रजिस्ट्रिकृत या संस्था रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रिकृत किसी संस्था से है, जिसके प्रबंध के अधीन संस्था विश्वविद्यालयीन कार्यो के विशेषाधिकारों को ग्रहण करती है ; सन् १९५० का महा. २९। सन् १८६० का महा. २१।

(३१) " निरधिसूचित जाति " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित, एक जगह से दूसरी जगह अपनी आजीविका की तलाश में भ्रमण करनेवाली जातियों से है ;

(३२) " अन्य पिछड़े वर्ग " का तात्पर्य, ऐसे वर्ग या ऐसे वर्ग के भाग या समूहों से है ; जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अन्य पिछड़े वर्ग के रुप में घोषित किया गया हो ;

(३३) " योजना और मूल्यांकन (मानिटर करना) बोर्ड " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के योजना और मूल्यांकन (मानिटर करना) बोर्ड से है ;

(३४) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के द्वारा, या अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों या, यथास्थिति, विनियमों द्वारा विहित से है ;

(३५) " प्राचार्य " का तात्पर्य, महाविद्यालय, विशेषज्ञीय शैक्षणिक संस्था, या अन्य अभिज्ञात संस्था के प्रमुख से है, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हो ;

(३६) " मान्यताप्राप्त संस्था " का तात्पर्य, संबंद्ध महाविद्यालय से अन्य उच्चतर विद्या, अनुसंधान या विशेषनीय अध्ययन की संस्था तथा जो विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार मान्यताप्राप्त संस्था है ;

(३७) " प्रादेशिक केंद्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित, उसके युनिट के घटक के रुप में, छात्रों के कार्य और संस्था के समन्वय और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए और प्रशिक्षण, कक्षा संचालन, और परीक्षाओं के प्रशासन समेत कोई अन्य सहायता देने के लिए और कार्यकारी परिषद द्वारा ऐसे केंद्र पर प्रदत्त किए जानेवाले अन्य कार्यों से है।

(३८) " अनुसूची " का तात्पर्य, इस अधिनियम की अनुसूचियों से संलग्न से है ;

(३९) " अनुसूचित जाति " का तात्पर्य, ऐसी जातियाँ, वंश या जनजातियाँ या भागों या ऐसी जातियों, वंशों या जनजातियों के भागों या समूहो से है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन महाराष्ट्र राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियाँ समझा गया है और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए **नव-बौद्धों** के समेत ;

(४०) " अनुसूचित जनजातियाँ " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य के किसी भाग में रहनेवाले ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या वर्गों से है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में समझा गया है तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए इसमें **विमुक्त** तथा खानाबदोश जनजातियाँ भी शामिल हैं ;

(४१) " परिनियम ", " अध्यादेश ", और " विनियम" का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम द्वारा या के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय परिनियमों, अध्यादेश और विनियमों से है ;

(४२) " उप-केंद्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित, उसके घटक इकाई के रुप में, परामर्श के प्रयोजन के लिए या छात्र और संस्थाओं द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य सहायता प्रदान करने के लिए और कार्यकारी परिषद द्वारा ऐसे केंद्रों पर ऐसे अन्य कार्यों के प्रदर्शन के लिए ;

(४३) " शिक्षक " का तात्पर्य, किसी संचालित, संबंधित या अभिज्ञात संस्था में पूर्ण-कालिक आचार्य, सहायक आचार्य, रीडर, प्राध्यापक, और इसमें अन्य कोई व्यक्ति, अनुदेश देना या अनुसंधान में मार्गदर्शन, पूर्ण-कालिक या अंश-कालिक सेवा में हो या अवैतानिक रुप में, जिसे परिनियमों द्वारा शिक्षक के रुप में पदाभिहित किया हो, उससे है ;

(४४) " विश्वविद्यालय " अर्थात् इस अधिनियम की धारा ३ के अधीन स्थापित डा. बाबासाहब अंबेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से है ;

(४५) " विश्वविद्यालय क्षेत्र " का तात्पर्य, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्र से है ;

(४६) " विश्वविद्यालय के विद्यालयों " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विद्यालय से है ;

सन् १९५० का ३ ।

(४७) " विश्वविद्यालय अनुदान आयोग " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय आयोग से है ;

(४८) " कुलपति " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के कुलपति से है ;

अध्याय दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का सम्मिलन।

३. (१) इस अधिनियम, के अधीन जिस दिन से विद्यमान विश्वविद्यालय नियत किया गया है उस दिन से डा. बाबासाहब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पुनर्गठित किया गया समझा जायेगा। सन १९८९ का महा. २२ ।

(२) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और कार्यकारी परिषद और शैक्षणिक परिषद के प्रथम सदस्य, और सभी व्यक्ति जो इसके पश्चात्, कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और कार्यकारी परिषद और शैक्षणिक परिषद के सभी सदस्य बनेंगे, जो एतद्वारा " डा. बाबासाहब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय " के नाम द्वारा निगमित निकाय के रुप में गठित और घोषित किया जाएँगा और ऐसे निगमित निकाय का शाश्वत उत्तराधिकार होंगा और उसकी सामान्य मुद्रा होंगी और उस नाम से वे वाद चला सकेंगा या उसपर वाद चलाया जा सकेगा।

(३) विश्वविद्यालय, एक संबद्ध विश्वविद्यालय होगा और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राज्यक्षेत्रीय सीमा के अधीन विश्वविद्यालय पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, इसमें संपूर्ण विश्वविद्यालय क्षेत्र समाविष्ट होगा और यह अन्य कोई महाविद्यालय या संस्था जो इंजीनिअरिंग, औषधी निर्माण, वास्तुविशारद, हॉटेल प्रबंधन और कैटरींग प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, उपाधि या डिप्लोमा प्रदान करने के लिए या वहीं प्रवेशित छात्रों को प्रमाणपत्र देने का आयोजन करते है से संबद्ध होगा।

(४) प्रत्येक विश्वविद्यालय, जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित तथा धारण करने, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उसमें निहित है या उसके द्वारा अर्जित की गई है, को पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अंतरण या निपटान करने में तथा संविदा करने या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त कार्य करने में सक्षम होगा ;

(५) विश्वविद्यालय का प्रमुख स्थान कोंकण क्षेत्र में, रायगड जिले में लोणारे होगा या इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में अधिसूचित ऐसे अन्य स्थानों पर होगा।

(६) विश्वविद्यालय, परिनियमों में विहित रित्या प्रादेशिक केंद्र मुंबई, पूना, नागपूर, औरंगाबाद और ऐसे अन्य स्थान, जिन्हें समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए जाएँगे, स्थापित करेगी।

(७) विश्वविद्यालय, परिनियमो में विहित रित्या उप-केंद्र कोल्हापूर, सोलापूर, अमरावती, नांदेड, जलगाँव और ऐसे अन्य स्थान जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा, समय-समय पर निर्धारित किया गया हो, स्थापित करेगी।

विश्वविद्यालय, प्रादेशिक केंद्रों और उप-केंद्रों की अधिकारिता ।

४. (१) विश्वविद्यालय की अधिकारिता संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में विस्तारित रहेगी ।

(२) नियत किए गए दिन पर और से, सभी विद्यालय, महाविद्यालय और स्वायत्त संस्था जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपाधि या उच्चतर स्तर पर शिक्षा देती है, जो प्रबंधन में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, वास्तूविशारद परिषद और औषधी निर्माण परिषद के कार्यक्षेत्र के अधीन आते है पूर्व से ही विशेषाधिकार दिए गए है या इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची १ में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालयों से संबंध से अन्य, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए डा. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को विशेषाधिकार देने या संबद्ध होने का विकल्प होगा ।

(३) महाराष्ट्र राज्य में, किन्ही समाज, संस्था या निकाय विश्वविद्यालय द्वारा संबंद्ध या मान्यता उसी द्वारा महाविद्यालय या संस्था शुरू करने या संचालन करना चाहती है, जो प्रबंधन में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, वास्तूविशारद परिषद और औषधी निर्माण परिषद के कार्यक्षेत्र के अधीन आते है, को महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ के अधीन गठित अन्य किसी विश्वविद्यालय की अनुमति लेने की जरुरत नहीं है, जिस क्षेत्र में महाविद्यालय या यथास्थिति संस्था, अवस्थित हो ऐसे किसी समाज, संस्था या निकाय के आवेदन पर, विश्वविद्यालय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ किसी अन्य विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना, जिसके क्षेत्र में महाविद्यालय या संस्था अवस्थित होगी या अवस्थित है, संबद्ध या मान्यता, यथास्थिति, देगी । सन् १९९४ का महा. ३५।

(४) विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध या मान्य कोई भी शैक्षिक संस्था किसी भी मार्ग से सहयुक्त हो या किन्हीं विशेषाधिकारों से विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की अनुमति के बिना, को छोड़कर प्रवेश नहीं लेगी ।

(५) विश्वविद्यालय के क्षेत्रिय केंद्रों और उप-केंद्रों का निदेश और अधिकारिता क्षेत्र अनुसूची २ में यथाविनिर्दिष्ट होगा ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

५. विश्वविद्यालय के उद्देश निम्न होंगे, अर्थात् :–

(क) इंजीनिअरिंग, प्रौद्योगिकी और सहबद्ध विज्ञान में अनुदेश, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विकास और विस्तार द्वारा उच्चतर शिक्षा के लिए सुविधाएँ उपबंधित करना और अवसर प्रस्थापित करना, और विश्वविद्यालय उचित समझे ऐसे अन्य उपाय ;

(ख) इंजीनिअरिंग, प्रौद्योगिकी और सहयोगी विज्ञान में शिक्षा के कार्यक्रमों को विरासत द्वारा देना और कार्यान्वित करना जो समाज की विद्यमान जरुरतों से सुसंगत है, दीर्घकालिक आवश्यकताओं को जीवित रखे और विविधता का विस्तार और विशिष्टीकरण की गहराई के निबंधनों के अनुसार प्रत्याशित परिवर्तनों और विकास के जिम्मेवार हो ।

(ग) इंजीनिअरिंग, प्रौद्योगिकी और सहयोगी विज्ञान में ज्ञान की अतिरिक्त उन्नतज्ञान ; अनुसंधान को अग्रसर और अभिवृद्धि करना ; ज्ञान का प्रसार अभिवृद्धि के आधार पर समाज की बेहतरी और इंजीनिअरिंग, प्रौद्योगिकी और सहयोगी प्रौद्योगिकी और सहयोगी विज्ञान की अभिवृद्धी द्वारा निरंतर निर्मित उपकरणों और पद्धतियों की व्यापक जानकारी देना ; और राज्य में पिछड़े प्रदेशों के साथ ही शोषित व्यक्तियों के प्रौद्योगिकी स्थानांतरण की प्राप्ति करना ;

(घ) सहकारिता पोषित करने के केंद्र के रूप में सेवा करना और एक तरफ से शैक्षणिक और अनुसंधान समूहों और दूसरी ओर औद्योगिक तथा सरकारी नियोजकों के बीच विचारों का आदान-प्रदान करना, और छात्रों में ठेकेदारी अभिवृद्ध कराना ;

(ङ) छात्रों को ऐसी रीत्या अध्यापन और परीक्षण करें, और ऐसी उपाधि, डिप्लोमा प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करना, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे ;

(च) राज्य के और विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए सभी स्तरों पर एकात्मिक प्रौद्योगिकी शिक्षा का अनुबंध करना ;

(छ) शिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम देने की दृष्टि से, दोनों सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के उद्योगों को सहयोग देना, जो ऐसे उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करें ;

(ज) विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार केंद्र की स्थापना करना ;

(ञ) ऐसे अन्य प्रयोजन जो, इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबंधों से असंगत न हो, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन करने पर, राज्य सरकार, कार्यालयीन **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ।

विश्वविद्यालय की शिक्षा तथा परीक्षा का माध्यम ।

६. प्रमाणपत्र के स्तर तक पाठ्यक्रमों के स्तर के शिक्षण तथा परीक्षा के माध्यम मराठी और अंग्रेजी हो सकते हैं, जब कि प्रमाणपत्र स्तर के बाद के पाठ्यक्रमों के लिए अंग्रेजी रहेगी ।

विश्वविद्यालय के प्रवेश तथा कतिपय वर्गों के लिए सहूलियत ।

७. विश्वविद्यालय जाति, वंश, पंथ या लिंग का विचार किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुली होगी किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग जन्मस्थान या राजनीतिक या अन्य राय के आधार पर किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशिष्टताओं या अध्ययन पाठ्यक्रमों, या विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों की सदस्यता, या किसी पद पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जायेगा :

परंतु, विश्वविद्यालय राज्य सरकार की पूर्वानुमति के अध्यधीन, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों के अनुसार, निम्न वर्ग के लोगों के लिए प्रवेश के प्रयोजनों के लिए कतिपय स्थान आरक्षित कर सकेगा, अर्थात् :–

(एक) अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, खानाबदोश जनजातियाँ, विमुक्त जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग ।

(दो) चयनात्मक पाठ्यक्रम के मामले में महाराष्ट्र से अन्य राज्य से आए छात्र ।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य ।

८. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय की निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे ; अर्थात् :–

(१) इंजीनिअरिंग, प्रौद्योगिकी और सहबद्ध विज्ञानों में अनुदेश और प्रशिक्षण के लिए उपबंध करना ;

(२) इंजीनिअरिंग, प्रौद्योगिकी और सहबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान के लिए, अभिवृद्धि के लिए और ज्ञान के प्रसार के लिए उपबंध करना ;

(३) इंजीनिअरिंग, प्रौद्योगिकी और सहबद्ध विज्ञानों में उपाधि, डिप्लोमा, और अन्य अर्हताएँ, जिसमें शैक्षणिक विशिष्टताएँ भी शामिल हैं, संस्थित करना ;

(४) विस्तारित शिक्षा कार्यक्रमों के जरिए प्रौद्योगिकी ज्ञान का अनुसंधान करने तथा स्थानांतरण के लिए उपबंध करना ;

(५) अध्ययन पाठ्यक्रम संस्थित करना तथा परीक्षाएँ लेना तथा उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना ;

(६) परीक्षाएँ लेना तथा उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तथा अन्य शैक्षणिक योग्यताएँ ऐसे योग्य व्यक्तियों को प्रदान करना, जिसमें,–

(एक) विहित पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया है ; या

(दो) विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य केंद्र या संस्था में विहित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्य किया है ;

(७) विहित रीति में तथा विहित शर्तों के अधीन मानद उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना ;

(८) ऐसी शर्तें विहित करना जिसके अधीन व्यक्तियों को किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ देना अवधारित किया जा सकेगा ;

(९) ऐसे व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों के तौर पर अभ्यावेशित नहीं हैं, उन्हें शिक्षण तथा प्रशिक्षण देने का उपबंध करना तथा प्रमाणपत्र देना जैसा कि विहित किया जाए ;

(१०) संकायों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा विभागों तथा उच्च शिक्षण तथा अनुसंधान की अन्य संस्थाओं की ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसे विश्वविद्यालय अवधारित करें स्थापना करना, विकास करना तथा बनाएँ रखना ;

(११) विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों, प्रयोगशालाओं तथा केंद्रो के बीच समन्वयक के रुप में कार्य करना ;

(१२) किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी निकाय से उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसी करार पायी जाए, तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जो समय-समय पर विहित किए जाए, सहयोग करना ;

(१३) शिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार संबंधी पद सृजित करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(१४) पाठ्यक्रम परिकल्पना तथा विकास केंद्र के जरिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित रीत्या में उपबंध करना या व्यवस्था करना ;

(१५) प्रशासनिक, लिपिक-वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(१६) परिनियमों के अनुसार, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पारितोषिक तथा पदक संस्थित करना तथा प्रदान करना ;

(१७) प्रौद्योगिक तथा सहबद्ध विज्ञान संबंधी संस्था, विद्यालय, केंद्र कारखाना तथा अन्य संस्थाएँ स्थापित तथा पोषित करना ;

(१८) ऐसे क्षेत्रीय केंद्रों, जिसे विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, की स्थापना करना तथा बनाए रखना ;

(१९) उपकेंद्रों की, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित रीत्या में स्थापना करना तथा बनाए रखना ;

(२०) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावास तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारीवृंद के लिए आवास स्थान स्थापित तथा पोषित करना या उन्हें मान्यता देना तथा ऐसी कोई मान्यता वापस लेना ;

(२१) विश्वविद्यालय के छात्रों का (छात्रावास में) निवास, उनके आचार तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना या उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण के उन्नयन के लिए व्यवस्था करना ;

(२२) ऐसी फीसें तथा अन्य प्रभार नियत करना, माँगना और प्राप्त करना जैसा कि विहित किया जाए ;

(२३) उपभोक्ता, सहकारी संस्था तथा उसके नियंत्रणाधीन संस्थाओं के लिए उपबन्ध बनाना ;

(२४) जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित नहीं है, ऐसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को विशेषाधिकार के लिए अंगीकृत करना तथा परिनियमों द्वारा विहित प्रतिबंधों के अनुसार ऐसे सभी या उसमें से कोई विशेषाधिकार वापस लेना ;

(२५) महाविद्यालयों की सहबद्धता की शर्तें और मान्यता, प्रबंधक विश्वसनीयता तथा अकादमिक परिषद द्वारा अधिकथित सहबद्ध महाविद्यालयों, संकायों, विषयों के अकादमिक कार्य के मान का विचार करते हुए, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित नियमों और विनियमों के अनुसार, अधिकथित करना और इस योजना तथा मूल्यांकन (मानिटरींग) बोर्ड के जरिए कालिक निर्धारण द्वारा समाधान करना कि, ऐसी शर्तें पूरी की गई है ;

(२६) विश्वविद्यालय विभाग, संचालित महाविद्यालय, सहबद्ध महाविद्यालय, संस्था या विद्यालय को स्वायत्त विश्वविद्यालय विभाग, संचालित महाविद्यालय, सहबद्ध महाविद्यालय या संस्था विद्यालय, जैसा कि मामला हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, समय-समय पर अधिकथित, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, यदि कोई हो के रुप में पदाभिहित करना ;

(२७) सहबद्धता, मान्यता जारी रखना, मान्यता, सहबद्धता का नवीकरण और कालिक प्रत्यायन के लिए सहबद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अकादमिक कार्य का मानिटर और मूल्यांकन करना ;

(२८) जहाँ आवश्यक हो, प्रयोजन के लिए उपयुक्त तंत्र के जरिए सहबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं की जाँच करना और उनके द्वारा शिक्षा, अध्यापन और प्रशिक्षण उचित रखा जाता है, यह सुनिश्चित करना और पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास, कारखाना और अन्य अकादमिक सुविधाओं के उपबंध ;

(२९) महाविद्यालयों की अनुदत्त सहबद्धता विखंडित करना ;

(३०) संस्थाओं की मान्यता वापस लेना, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता अनुदत्त की गई है ;

(३१) शिक्षा या अनुसंधान के प्रयोजन के लिए या अन्यथा विश्वविद्यालय के कार्य तथा कल्याण को अग्रसर करने के लिए किसी संपत्ति, वसीयत, सपंदा, विन्यास, वसीयत, या उपहार के लिए न्यासी या प्रबंधक रूप में कार्य करना तथा इस अधिनियमों के उपबंधों तथा तद्धीन निर्मित परिनियमों के अनुसार उसकी किसी निधि का विनिधान करना ;

(३२) विषयों, विशेषज्ञता के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र तथा अल्पावधि या दीर्घकालीन अवधि के आधार पर, प्रौद्योगिक मानव शक्ति का प्रशिक्षण के निबंधनों के अनुसार, राज्य तथा देश की आवश्यकता निर्धारित करना तथा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम आरंभ करना ;

(३३) इंजीनिअरिंग, प्रौद्योगिकी तथा सहबद्ध विज्ञान में के रूप के गहरे ज्ञान पर आधारित उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के कार्यक्रम संचालित करना ताकि ऐसे व्यक्तियों के लिए जो ज्ञान तथा विद्वत्ता में अच्छी तरह विशेषज्ञ ही न हो बल्कि मार्गदर्शन भी कर सके ;

(३४) अनुसंधान, प्रारुपण, विकास तथा विस्तारी सेवा संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना जो कि देश के तथा अविकसित क्षेत्रों की सामाजिक आवश्यकताओं तथा विकास के कार्यक्रम से सुसंगत हो ;

(३५) पूरक सुख-सुविधाओं का उपबंध करने के लिए उद्योगों तथा सरकारी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उपाय करना ;

(३६) शिक्षा प्रदान करने, प्रशिक्षण का संगठन और पाठ्यपुस्तक और अन्य शिक्षा के साधन तैयार करने में, लगातार प्रयोग करने के लिये उपबंध करना ;

(३७) लगातार मूल्यांकन के आनुक्रमिक प्रतिस्थापन और शैक्षणिक उपायों में उद्देश्यों की पुनःअभिसंस्करण की व्यवस्था करना ;

(३८) अपने छात्रों में से अधिकार उद्यमकर्ता की योग्यता बढ़ाना ;

(३९) इंजीनिअरींग, प्रौद्योगिकी और सहबद्ध विज्ञान के व्यवसाय और उसकी जिम्मेदारियाँ और संस्था की सेवाओं की आवश्यकताओं और अवसरों संबंधी लोगों को शिक्षित करना ;

(४०) विश्वविद्यालय में किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था के विलयन के लिए और उसके अधिकारों और दायित्वों और या किसी अन्य प्रयोजनों को इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध न हों, कोई समझौता करना ;

(४१) ऐसे समस्त कार्य और बातें करना, चाहे वह उपर्युक्त शक्ति और कृत्यों से आनुषंगिक हो या न हो, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के उन्नयन के लिए आवश्यक या वांछनीय हो ;

(४२) विशेषताप्राप्त अध्ययन उपक्रमित करने के लिए महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं को समर्थ बनाने के लिए उपबंध करना ;

(४३) सहबद्ध महाविद्यालय, संस्था या स्वायत्त महाविद्यालय के प्रबंधन के मामले में जहाँ ऐसे महाविद्यालय या संस्था के प्रबंधन द्वारा जहाँ अनियमितताएँ या कार्य या लोप या संस्थाओं में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति की जाँच समिति के लिए प्रथमदृष्ट्या सुव्यक्त है, लोक हित में, राज्य सरकार को सिफारिशें करना ;

(४४) पारस्परिक फायदे के लिए उद्योगों से प्रोत्साहित भागीदारिता के लिए औद्योगिक सहकारिता केन्द्रों की स्थापना करना और बनाए रखना ।

अध्याय तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी ।

९. विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति ;

(ग) निदेशक ;

(घ) संकायाध्यक्ष ;

(ङ) अनुसंधान और विकास संकायाध्यक्ष ;

(च) रजिस्ट्रार ;

(छ) वित्त अधिकारी ;

(ज) संयुक्त निदेशक ;

(झ) उप-निदेशक ; और

(ञ) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारियों जिसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए की जानेवाली परिनियमों द्वारा घोषित किया जा सकेगा ।

कुलाधिपति ।

१०. महाराष्ट्र के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे ।

कुलाधिपति की शक्तियाँ और कर्तव्य ।

११. (१) कुलाधिपति के पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा और जब वह उपस्थित होगा तब विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठक और विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(२) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के प्रशासन और कामकाज से संबंधित किन्ही कागजातों को अपनी जानकारी के लिये माँग सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा विश्वविद्यालय द्वारा पूरी की जायेगी ।

(३) मानद उपाधि प्रदत्त करने के लिये प्रत्येक प्रस्ताव, कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन होगा ।

(४) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की किसी वार्षिक कार्यवाही लिखित में आदेश द्वारा की जा सकेगी जिससे इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के पृष्टि में नही है :

परन्तु, किसी ऐसे आदेश करने के पूर्व अधिकारी या प्राधिकारी पर ऐसा आदेश क्यों न बनाया जाए का कारण दर्शायेगा और यदि किसी मामले में इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी समय के भीतर, कारण दर्शाया है तो वह आदेश पारित करने के पूर्व, उसके विचारार्थ रखेगा ।

(५) कुलाधिपति, इस अधिनियम द्वारा अधिकथित है या परिनियमों द्वारा उस पर प्रदत्त किया जाए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

कुलपति द्वारा निरीक्षण और जाँच ।

१२. (१) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय द्वारा बनाए रखी गयी और प्रशासित किसी संस्था या छात्रावास के विश्वविद्यालय के अपने भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और कर्मशालाओं और उपकरणों को जैसा वह निदेश दे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जाँच कराने और विश्वविद्यालय द्वारा किये जानेवाले तकनीकी और अन्य कार्य या अपने तत्वधान में और विश्वविद्यालय की परीक्षा या अन्य कृत्यों को कराने और विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी मामले के संबंध में उसी रीत्या जाँच करने का अधिकार होगा ।

(२) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में किये जानेवाले निरीक्षण या जाँच के अपने आशय की सम्यक सूचना देगा और विश्वविद्यालय को प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए हकदार किया जायेगा जिसे उपस्थित किये जाने और जाँच के ऐसे निरीक्षण में सुनवाई किये जाने का अधिकार होगा ।

(३) कुलाधिपति, ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के सन्दर्भ से अपनी राय विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा और कुलाधिपति ऐसी सलाह से विश्वविद्यालय उस पर राय सुनिश्चिति के पश्चात्, उस पर की जानेवाली कार्यवाही पर और ऐसा कार्य करने के लिये समय-सीमा नियत करेगा ।

(४) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत की गई समय-सीमा के भीतर, कुलाधिपति की सलाह से उसके द्वारा जो कार्यवाही की गई है या करने के लिए प्रस्तावित है, उसकी रिपोर्ट कुलाधिपति को करेगी ।

(५) कुलाधिपति, जहाँ उसके समाधान के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो, विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किये गए अभ्यावेदन का निश्चित समय-सीमा के भीतर, विचार करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

(६) पूर्ववर्ती उप-धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी समय पर, कुलाधिपति की राय यह है कि, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रेसर करने में विश्वविद्यालय के क्रियाकलाप के किसी मामले में या इस अधिनियम तथा परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के अनुसार या अध्यापन, परीक्षाएँ, अनुसंधान या विस्तारी शिक्षा, प्रशासन या वित्त के मानक बनाए रखने के वांछनीय उपायों का प्रबंध नहीं किया है तो, कुलाधिपति किसी मामले के विषय में, जो वह स्पष्टीकरण चाहता है, विश्वविद्यालय को सूचित करेगा तथा उसके द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्रस्ताव के लिए विश्वविद्यालय को बुला सकेगा। यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे स्पष्टीकरण के प्रस्ताव में विश्वविद्यालय असफल रहती है या जो स्पष्टीकरण दिये है वे कुलाधिपति की राय में समाधानप्रद नही है तो, कुलाधिपति, जिसे वह उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुसरण करेगी ।

१३. (१) कुलपति, कुलाधिपती द्वारा इसके अधीन कथित रीत्या में नियुक्त किया जायेगा :—

(क) कुलपति की नियुक्ति के लिए कुलाधिपति को यथोचित नामों की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति होगी, अर्थात् :—

(एक) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का निवृत्त न्यायाधीश होगा या उच्चतम न्यायालय का निवृत्त प्रमुख न्यायाधीश या राष्ट्रीय ख्याती का विख्यात वैज्ञानिक होगा या शिक्षा के क्षेत्र में **पदम** पुरस्कार का प्राप्तिकर्ता हो ;

(दो) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव या सरकार के प्रधान सचिव से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा, नामित होगा ;

(तीन) सरकार द्वारा, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, विहित रीति में, कार्यकारी परिषद तथा अकादमिक परिषद द्वारा, संयुक्त रुप से नामनिर्दिष्ट भारतीय प्रौद्योगिक संस्था, भारतीय प्रबंधन संस्था, भारतीय विज्ञान संस्था, भारतीय अंतराल अनुसंधान संस्था या राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जैसे राष्ट्रीय विख्यात संस्था संगठन के संचालक या प्रमुख हो ;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य, समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ग) नामनिर्दिष्ट सदस्य, ऐसे व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय से संबंधित नही हैं ;

(घ) जब तक समिति के सभी तीनों सदस्य उपस्थित नहीं है तब तक समिति की कोई बैठक नहीं ली जाएगी।

(२) पैनल तयार करने की प्रक्रिया कुलपति की रिक्ति हो जाने की अधिसंभाव्य तारीख से पहले कम-से-कम तीन महीनों में शुरु होगी तथा कुलाधिपति द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर, खत्म होगी। तथापि, कुलाधिपति को अत्यावश्यक परिस्थितियों में ऐसी समय-सीमा बढ़ाना अत्यावश्यक है तो वह बढ़ा सकता है तथापि, इस प्रकार कि बढ़ायी गई अवधि कुल-मिलाकर तीन महीनों से अधिक नहीं होगी।

(४) कुलपति के रुप में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा सिफारिशें करनेवाला व्यक्ति,—

(क) प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी ;

(ख) प्रतिष्ठित परिपत्सदस्य या उच्च योग्यता का कोई प्रशासक ;

(ग) अपने खुद के स्पष्टीकरण द्वारा अगुआई करने के लिए मुहैया करने के लिए समर्थ होगा ;

(घ) छात्र और संस्था के हित में सीमा मुहैया करने और वास्तविकता स्पष्ट करने के लिए क्षमता होगी ; और

(ङ) कुलाधिपति से परामर्श में, राज्य सरकार **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शैक्षणिक अर्हताओं और अनुभव की प्रक्रिया करेगा ।

(५) कुलपति के रुप में नियुक्ति के लिए नामें की सिफारिशों के लिए पात्रता शर्तें और प्रक्रिया अधिक यथोचित उम्मीदवारों की सिफारिशों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार किया जायेगा ।

(६) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति द्वारा इस प्रकार सिफारिश किये गये किन्हीं व्यक्तियों के नाम यदि कुलाधिपति अनुमोदित नहीं करता तो वह नयी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा ।

(७) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्ण-समय वेतन अधिकारी होगा । वह सेवा के निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन पाँच वर्षों की पदावधि के लिए पद धारण करेगा जिसकी अवधि कुलाधिपति द्वारा विस्तारित की जायेगी, अपवादात्मक परिस्थिति में जिसकी अवधि कुल छह महीने से अधिक नहीं होगी, जिस कारणों के लिए पदावधि, विस्तारित आदेश में अधिकथित की जायेगी ।

(८) कुलपति, कुलाधिपति को एक महीने की सूचना देने के पश्चात् अपने पद का इस्तीफा लिखित में कुलाधिपति को अपने त्यागपत्र द्वारा दे सकेगा । त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा स्वीकृत किये जाने पर प्रभावी होगा ।

(९) कुलपति को अदा किया जानेवाला पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी होंगी और उसकी सहमति के बिना उसकी नियुक्ति के पश्चात् अपनी असुविधा के लिए परिवर्तित नहीं होगी ।

(१०) कुलपति पद में उसकी मृत्यु, इस्तीफा या से अन्यथा के कारणों द्वारा रिक्ति पायी जाने की दशा में, कुलाधिपति वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष या निदेशक या किसी अन्य उचित व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जो उप-धारा (१) के अनुसरण में जब तक कुलपति की नियमित नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक कुलपति के रुप में कार्य करेगा और अपने पद पर प्रवेश करनेवाला नवीन कुलपति या जिसे कुलपति के पद पर प्रवेश करनेवाले ऐसे नामनिर्देशिति के दिनांक से छह महीने की अवधि जो भी पहले हो, अवसित नहीं होगी ।

(११) जहाँ छुट्टी, बीमारी या किसी अन्य कारणों द्वारा कुलपति के पद में कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो उस प्रयोजन के लिए, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जानेवाले संकायाध्यक्ष या निदेशक या कोई अन्य समूचित व्यक्ति कार्य करेगा, कुलपति कार्य करने के लिए अपने कर्तव्य पर कुलपति पुनः आरंभ करने के दिनांक तक कार्य करेगा ।

(१२) कोई व्यक्ति आयु के पैंसठ वर्ष प्राप्त करने के पश्चात्, कुलपति का पद धारण नहीं करेगा या धारण करना जारी नहीं रखेगा ।

(१३) कुलपति अपने पद से हटाया जायेगा, यदि कुलाधिपति का यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विक्षिप्त होता है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाता है ;

(ख) नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ;

(ग) सक्षम न्यायालय द्वारा अनुन्मोचित दिवालिया घोषित किया गया है ;

(घ) शारीरिक रूप से अयोग्य होता है और दीर्घ बिमारी या शारीरिक निर्योग्यता के कारण कर्तव्य निर्वहन में असमर्थ होता है ;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का जानबूझकर लोप करता है या करने से इन्कार करता है या सेवा संविदा के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का या राज्य सरकार द्वारा विहित किसी अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि विश्वविद्यालय के हित में कुलपति का पद पर बने रहना हानिकारक है ;

(च) किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य या कार्यकर्ता है या किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि की सहायता के लिये अंशदान देता है ।

परंतु, खण्ड (घ), (ङ) और (च) के अधीन कुलाधिपति द्वारा कुलपति को हटाने का मार्ग अपनाने के पूर्व उसे कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा ।

कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

१४. (१) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा, और विश्वविद्यालय के कामकाज का सामान्य निरीक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के निर्णयों को प्रभावी करेगा। वह कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा। कुलपति कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, योजना और मूल्यांकन (मानिटर) बोर्ड और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

(३) कुलपति को, कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद और अन्य निकायों या समितियों की बैठक बुलाने की शक्ति होगी।

(४) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करें कि इस अधिनियम के उपबंध और परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम का निष्ठापूर्वक अवलोकन किया है और उसे इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक शक्तियाँ होंगी।

(५) कुलपति, विश्वविद्यालय के उचित प्रशासन और निकट समन्वयन और अध्यापन, अनुसंधान और शिक्षा विस्तार, सेवा विस्तार और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अन्तरण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होगा।

(६) कुलपति, विश्वविद्यालय के मुख्यालय में और बाहर दोनों द्वारा पोषित विभाग, विशेषताप्राप्त अध्ययन की संस्था, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, म्यूजियम, छात्रावास और विद्यालय का संबंध समुचित अधिकारिओं तथा कर्मचारीवृन्द के जरिए करेगा।

(७) कुलपति, विश्वविद्यालय, विद्यालय, प्रादेशिक केन्द्रो, उप-केन्द्रो, सहबध्द विद्यालय, विभाग से या विश्वविद्यालय के उचित कार्यो के लिए आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय के सभी क्रियाकलापों पर मान्यताप्राप्त संस्था, छात्रावास से रिपोर्ट मांगेगा।

(८) कुलपति, विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास (छात्रावास में) संचालन और अनुशासन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। ऐसी समितियों के परामर्श में, जैसा विहित किया जाए उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिये व्यवस्था भी करेगा।

(९) कुलपति, वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र कार्यकारी परिषद को समय में प्रस्तुतिकरण के लिए जिम्मेवार होगा।

(१०) कुलपति, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को धारण, नियंत्रण और प्रशासित करेगा।

(११) कुलपति, विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के निपटान में रखी गयी निधि और जिस प्रयोजन के लिये, जिसे दिया गया है उस प्रयोजन के लिये, व्यवस्था करेगा।

(१२) कुलपति, भवनों, परिसरों, उपस्कर और अन्य विश्वविद्यालय के कार्य कार्यान्वित करने की जरूरत है तो उपबंध करेगा।

(१३) कुलपति, कार्यकारी परिषद की सहमति से इस प्रयोजन के लिये, कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त की जानेवाली वित्त समिति और विधिक समिति के परामर्श पर, इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा या के अधीन, उसके द्वारा समनुदेशित शक्तियों और कर्तव्यों के अनुपालन के प्रयोग में, विश्वविद्यालय की ओर से उसमें प्रवेश, फेरफार, कार्यान्वयन या उसे रद्द करेगा।

(१४) किसी अपातकालीन स्थिति में, जिसे कुलपति की राय में, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह कुलाधिपति के नियंत्रण के अध्यधीन, ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात्, कुलाधिपति और कार्यकारी परिषद को उसकी कार्यवाही रिपोर्ट देने के प्रारम्भिक अवसर देगा और ऐसे अन्य प्राधिकरणों या अधिकारियों को मामले का निपटान साधारण पाठ्यक्रम में होगा :

परंन्तु, यदि प्राधिकरण या संबंधित निकाय, कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन नहीं करता है तो कुलपति कुलाधिपति को मामला निर्दिष्ट करेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा और जो कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पृष्टी कर सकेगा या उसकी वार्षिक या जैसा वह उचित समझे ऐसी रीत्या उपांतरण कर सकेगा और उसपर प्रभावहीन होगा या, यथास्थिति, उपांतरण से प्रभावी होगा, तथापि, ऐसा बातिलीकरण या उपांतरण कुलपति के आदेश द्वारा या के अधीन पहले कृत किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(१५) अंतिम पूर्ववर्ती उप-धारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कोई कार्यवाही, अपनी असुविधा के लिए विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति से प्रभाव के जिस पर, ऐसी व्यक्ति ने की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त की है उससे तीस दिनों के भीतर, कार्यकारी परिषद को अपील प्रस्तुत कर सकेगा और कार्यकारी परिषद, उसकी अगली बैठक में अपील पर विचार करेगी और अपील के दिनांक से तीन महीने के भीतर अपना निर्णय देगी।

(१६) कार्यकारी परिषद के अपील आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के संसूचना के दिनांक से तीस दिनों के भीतर, कुलाधिपति को अपील कर सकेगी और ऐसे अपील पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा ।

(१७) पूर्ववर्ती उप-धारा के उपबंधों के अध्यधीन, कुलपति, विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिक्रमण, हटाने या पदच्युति संबंधि कार्यकारी परिषद के आदेशों को प्रभावी करेगी ।

(१८) कुलपति, ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जिसे इस अधिनियम के अधीन अधिकथित किया गया है या परिनियमों, आर्डिनेंस और विनियमों द्वारा उस पर प्रदत्त या अधिरोपित किया जा सकता है ।

(१९) (क) कुलपति, विश्वविद्यालय के अपने भवनों, प्रयोगशालाओं पुस्तकालय, म्युझियम, कार्यशाला और उपस्कर और किसी संस्था, प्रादेशिक केन्द्र, उप-केन्द्र, सहबद्ध, संचालित या स्वायत्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा बनाए रखे गए या मान्यताप्राप्त हॉल या छात्रावास और विश्वविद्यालय द्वारा या की और से परीक्षा, अध्ययन और अन्य कार्य और विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी रीत्या जाँच करने का अधिकार होगा :

परंतु, कुलपति, सहबद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था के मामले में, इस प्रकार किये जानेवाले निरीक्षण या किसी जाँच का अपना आशय ऐसा सहबद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था के प्रबंधन को सूचना देगा :

परन्तु आगे यह कि, प्रबंधन ऐसा निरीक्षण या जाँच करने के पूर्व, जैसा वह आवश्यक समझे, कुलपति को ऐसा अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा ;

(ख) ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई किया जाता हो कुलपति द्वारा किया जानेवाला या छोडी जानेवाला ऐसा निरीक्षण या जाँच कर सकेगा ;

(ग) प्रबंधन के मामले में, जब निरीक्षण या जाँच की जानेवाली है को प्रबंधन, प्रतिनिधी की नियुक्ति करने के लिए हकदार होगा जिसे उपस्थित होने के लिए और ऐसे निरीक्षण या जाँच में सुनवाई के लिए हकदार होगा ;

(घ) कुलपति, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मान लिये गये किसी महाविद्यालय या संस्था से संबंधित यदि निरीक्षण या जाँच करता है तो, ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम प्रबंधक को संसूचित करेगा ;

(ङ) प्रबंधन यदि कोई हो, किये जाने के लिए प्रस्तावित या उसके द्वारा की गई है ऐसी कार्यवाही कुलपति को संसूचित करेगा ;

(च) जहाँ प्रबंधन, कुलपति द्वारा नियत अवधि के भीतर, उसके समाधान होने तक कार्यवाही नहीं करता है तथा कार्यावाही करता है तो कुलपति, उसके विचारार्थ, प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण और अभ्यवेदन पर, विचार करने के बाद, किये गये निरीक्षण या जाँच की रिपोर्ट कार्यकारी परिषद के समक्ष रखेगा ।

(२०) कुलपति, समय-समय से आवश्यक विभिन्न स्थानों में प्रादेशिक तथा उप-केद्रो की स्थापना और रखरखाव की व्यवस्था करेगा और उनके सुचारू कार्य के लिए आवश्यक है, ऐसी शक्ति किसी कर्मचारी को प्रत्यायोजित करेगा ।

निदेशक ।

१५. (१) प्रत्येक निदेशक, पूर्ण कालिक वेतनिक अधिकारी होगा और परिनियमों द्वारा विहित रीत्या चयन समिति की सिफारिश पर, कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(२) कोई भी व्यक्ति, पैंसठ वर्षों की आयु के बाद निदेशक का पद धारण नहीं करेगा ।

(३) प्रत्येक निदेशक, सेवा के ऐसे पारिश्रमिक और अन्य शर्तों पर ऐसे रीत्या नियुक्त किया जायेगा और ऐसी शक्तियों का और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ।

संकायाध्यक्ष।

१६. (१) प्रत्येक संकायाध्यक्ष, पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और जेसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए चयन समिति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए, नियुक्त किया जाएगा। संकायाध्यक्ष तीन वर्षों की अधिकतर अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंन्तु, कार्यकारी परिषद का सदस्य, कुलपति से अन्य ऐसी समिति का सदस्य नहीं होगा ।

(२) कोई भी व्यक्ति, पैंसठ वर्षों की आयु के बाद, संकायाध्यक्ष का पद धारण नहीं करेगा ।

(३) संकायाध्यक्ष, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसे कार्यों का अनुपालन करेगा ।

रजिस्ट्रार।

१७. रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, योजना और मूल्यांकन (मानीटरिंग) बोर्ड और संकाय के सचिव के रुप में कार्य करेगा परन्तु, इन प्राधिकरणों का सदस्य नहीं समझा जायेगा ।

रजिस्ट्रार की नियुक्ति उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

१८. (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा यथा विहित चयन समिति की सिफारिशों पर, कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किया जायेगा । उसकी अर्हता, परिश्रमिक सेवा की निबन्धन और शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी होगी ।

(२) रजिस्ट्रार, पाँच वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा पाँच वर्षों की एक अधिक अवधि के लिए, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र किया जायेगा :

परंन्तु, कोई व्यक्ति की साठ वर्षों की आयु होने के बाद, रजिस्ट्रार का पद धारण नहीं करेगा ।

(३) रजिस्ट्रार, अभिलेख अभिरक्षा में रखने के लिए जिम्मेदार होगा, विश्वविद्यालय की एक सामान्य मुद्रा होगी और कार्यकारी परिषद के रूप में विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य सम्पत्ति का प्रभार सुर्पुद करेगा ।

(४) रजिस्ट्रार, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, योजना और मूल्यांकन (मॉनीटरिंग) बोर्ड की बैठके बुलाने के लिए सभी सूचनाएँ जारी करेगा और ऐसी अन्य समितियाँ विश्वविद्यालय की वित्त समिति से अन्य

प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त करेगा और ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा । वह, विश्वविद्यालय के प्रवेश के लिए, आवेदनों को प्राप्त करेगा और सभी पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या और अन्य सूचना जैसा आवश्यक हो स्थायी अभिलेख रखेगा ।

(५) रजिस्ट्रार, कुलपति को संबोधित कर स्वयं लिखित रूप से अपने पद का त्यागपत्र दे सकेगा। त्यागपत्र, जिस पर रजिस्ट्रार अपने पद से मुक्त होने की इच्छा रखता है तो साधारण तीस दिनों के पूर्व कुलपति को सुपुर्द करेगा परन्तु कार्यकारी परिषद उसे पूर्वतर मुक्त करेगी। त्यागपत्र राहत के दिनांक से प्रभावी किया जायेगा।

(६) छुट्टी या चाहे किसी भी कारण के लिए अस्थायी अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण द्वारा हुई रीक्ति जब तक भरी नहीं जाती तब तक कुलपति, रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए तीन महीने से अनधिक अवधि के लिए, किसी व्यक्ति की अस्थायी नियुक्ति करेगा।

(७) रजिस्ट्रार, छात्रों के अकादमिक अनुपालन से संबंधित उपाधियाँ, पुरस्कार, इनाम या स्वयं विशिष्टताएँ और किसी अन्य मुद्दों समेत विश्वविद्यालय के छात्रों का अकादमिक अनुपालन का स्थायी अभिलेख बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

(८) रजिस्ट्रार, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जिसे इस अधिनियम के अधीन अधिकथित किया है या परिनियमों द्वारा उस पर प्रदत्त या अधिरोपित किया जा सकेगा या कुलपति द्वारा निर्देशित किया जा सकेगा।

वित्त अधिकारी ।

१९. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय का पूर्ण कालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसके द्वारा गठित समिति या वित्त समितियों के पदेन सचिव के रूप में कार्य करेगा, परन्तु उसे वित्त समिति का सदस्य नहीं समझा जायेगा।

वित्त अधिकारी की नियुक्ति, उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य ।

२०. (१) वित्त अधिकारी, परिनियमों द्वारा यथा विहित चयन समितियों की सिफारिश पर, कार्यकारी परिषद द्वार नियुक्त किया जायेगा। उसकी अर्हता, परिश्रमिक और सेवा के निबन्धन और शर्ते परिनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी होगी।

(२) वित्त अधिकारी, पाँच वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

परन्तु, कोई भी व्यक्ति उसकी आयु साठ वर्ष पूर्ण होने के बाद, वित्त अधिकारी का पद धारण नहीं करेगा ।

(३) जब, वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो जाता है या जब वित्त अधिकारी बीमारी के कारण या अनुपस्थिति या किसी अन्य कारणों द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के अनुपालन के लिए असमर्थ है तो ऐसे कर्तव्य छह महिने से अनधिक अवधि के लिए या जब तक वित्त अधिकारी सम्यक्तया नियुक्त किये जाने तक इसमें जो भी पूर्वतर हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जायेंगे जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।

(४) वित्त अधिकारी, वित्तीय मामलों में कुलपति को सहायता करेगा और कुलपति के सामान्य नियंत्रण के अधीन होगा। अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के अनुपालन में वित्त अधिकारी,–

(क) विश्वविद्यालयों की निधियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और अपनी वित्तीय नीति से संबंधित विश्वविद्यालय को सलाह देगा ;

(ख) विश्वविद्यालयों के किन्हीं उद्देश्यों को अग्रेसर करने के लिए, न्यास या सम्पन्न सम्पत्ति समेत सम्पत्ति और निवेशों को धारण और प्रबंधित करेगा ;

(ग) यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए, वित्तीय समिति द्वारा नियत समय सीमा एक वर्ष से अधिक नहीं है और उस प्रयोजन के लिए सभी राशी विस्तारित है जिसके लिए वह अनुदत्त या आंबटित की गई है :

अध्याय तीन

(घ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और बजट तैयार करने और उसे कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरादायी होगा ;

(ङ) नगर और बैंक अतिशेषों और विनिधानों की स्थिति पर निगरानी रखेगा ;

(च) राजस्व के संग्रहणार्थ की प्रगति पर निगरानी रखेगा और संग्रहणार्थ प्रयुक्त पद्धतियों के बारे में सलाह देगा ;

(छ) विश्वविद्यालय में लेखों की नियमित रुप से लेखा परीक्षा करवायेगा ;

(ज) इस बाद को सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमी और उपस्कर की पंजियाँ अद्यतन रखी जाती है और यह कि सब कार्यालयों, महाविद्यालयों, कार्य शालाओं और भण्डारों में उपस्करणों और अन्य उपभोग्य पदार्थों की सतत जाँच पडताल की जाती है ;

(झ) किसी विशिष्ट मामले में, अप्रधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए कुलपति के ज़रिए कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखेगा और चूककर्ता व्यीक्तयों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के संबंध में सुझाव देगा ;

(ञ) विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन किसी कार्यालय, महाविद्यालय, प्रयोगशाला या संस्था से कोई जानकारी या विवरणी मंगा सकेगा जिसे वह अपने वित्तीय दायित्व के समुचित निर्वहनार्थ आवश्यक समझे ; और

(ट) ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का निर्वहन करेगा जो कि कार्यकारी परिषद के द्वारा उसकी प्राप्ति समनुदेशित किये जाए या परिनियमों द्वारा विहित किये जाए।

संयुक्त निदेशक।

२१. (१) प्रत्येक संयुक्त निदेशक, पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और परिनियमों द्वारा विहित रीत्या चयन समिति की सिफारिशों पर, कार्यकारी परिषद द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा।

(२) कोई भी व्यक्ति, पैंसठ वर्षों की आयु के बाद, संयुक्त निदेशक का पद धारण नहीं करेगा।

(३) संयुक्त निदेशक, इस अधिनियम के अधीन किये गये परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

उप-निदेशक।

२२. (१) प्रत्येक उप-निदेशक, पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे रीत्या चयन समिति की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा।

(२) कोई भी व्यक्ति, पैंसठ वर्षों की आयु के बाद, उप- निदेशक का पद धारण नहीं करेगा।

(३) उप- निदेशक, इस अधिनियम के अधीन किये गये परिनियमों, आर्डिनेन्स और विनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी।

२३. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, धारा ९ के अन्य खंड (ञ) में निर्दिष्ट ऐसे रित्या की जायेगी और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते तथा शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जिसे आर्डिनेंन्स द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियोंके सेवा की शर्ते अवधारित करने की शक्तियाँ।

२४. (१) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों और राज्य सरकार द्वारा यथा स्वीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शक सिद्धातों और इस अधिनियम के उपबंधो, के अध्यधीन, विश्वविद्यालय सभी अध्यापकों के पदनाम, अर्हताओं, भर्ती की पद्धति, वेतन, भत्तें और सेवा की अन्य शर्ते और उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होगे जिसे परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों द्वारा समय-समय पर यथा विहित की जाए।

(२) विश्वविद्यालय के गैर-अध्यापनेतर कर्मचारियों सेवा के पदनाम, अर्हताएँ, भर्ती की पद्धति, वेतन, भत्तें और सेवा की अन्य शर्तें इस अधिनियम के उपबंधो के अध्यधीन होगी और राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए परिनियमों,आर्डिनेन्सो और विनियमों द्वारा विहित की जायेगी।

प्राधिकरण और अधिकारी हानि के लिए जिम्मेदार।

२५. (१) इस बात को सुनिश्चित करना विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्रधिकारी, अधिकारी और कर्मचारियों का कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के हितों कि सम्यक् सुरक्षा की जाती है।

(२) यदि यह पाया गया है कि विश्वविद्यालय के किसी प्रधिकरण या अधिकारी या कर्मचारी किसी कार्य के कारण जो कि इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डीनेन्सों या विनियमों के अनुरुप नहीं है के सिवाय, जब कि वह सद्भावनापूर्वक किया गया हो, या उसके अनुरुप ऐसा कार्य करने में किसी विफलता के कारण या उसकी आम लापरवाही या चूँक के कारण, विश्वविद्यालय को कोई क्षति या हानि पहुँची है तो ऐसी क्षति या हानि को, परिनियमों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकरण से या उससे संबंधित सदस्यों या, यथास्थिति, संबंधित अधिकारी से वसूल करने के लिये दायी किया जायेगा।

अध्याय चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२६. विश्वविद्यालय के निम्न प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) कार्यकारी परिषद ;

(ख) अकादमिक परिषद ;

(ग) योजना और मूल्यांकन (मानीटरिंग) बोर्ड ;

(घ) वित्त समिति ;

(ड) अध्ययन के बोर्ड ; और

(च) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय जिन्हें, परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रुप में घोषित किया जा सकेगा।

कार्यकारी परिषद।

२७. (१) कार्यकारी परिषद, सामान्य नीति से संबंधित मूल प्राधिकारी होगा और पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निष्पादन की शक्ति से निहित होगी और वह निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति, पदेन सभापति ;

(ख) तकनीकी शिक्षा का निदेशक या उसका प्रतिनिधि, संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का नहीं होगा ;

(ग) कुलधिपति का एक नामनिर्देशित ;

(घ) वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जानेवाले अनुसंधान और विकास के संकायाध्यक्ष और संकाय के संकायाध्यक्ष का एक प्रतिनिधि ;

(ङ) वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जानेवाले विश्वविद्यालय विभागों के प्रमुखों संचालित संस्थाओं के प्रमुखों और विश्वविद्यालय विद्यालयो के प्रमुखों के दो प्रतिनिधि ;

(च) वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम द्वारा या संस्था की मान्यता के दिनांक के आधार पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले सहबद्ध महाविद्यालय और मान्यता संस्था के प्रमुख के दस प्रतिनिधि ;

(छ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जानेवाले प्रत्येक प्रादेशिक केन्द्रों से एक, प्रादेशिक केन्द्रों के चार प्रतिनिधि।

(ज) चक्रानुक्रम द्वारा कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उप-केन्द्रों के तीन प्रतिनिधि ;

(झ) वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले खण्ड (घ) और (ङ) में आवृत्त से अन्य विश्वविद्यालय के दो अध्यापकों, आचार्यों में से एक और सहायक आचार्यों में से एक ;

(ञ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले चार प्रतिष्ठित विज्ञानी या विख्यात प्रोद्योगिकी जो सरकार के कर्मचारी नहीं है।

(२) उप-धारा (१) के खंड (घ) से (ञ) के अधीन, प्रतिनिधियों की सदस्यता की पदावधि तीन वर्षों की होगी।

(३) उप-धारा (१) के खण्ड (घ) से (ञ) के अधीन, प्रतिनिधि सदस्य, कार्यकारी परिषद का सदस्य किये जाने से परिविरत होगा यदि वह निकाय का सदस्य होने से परिविरत होते है जिसे वे प्रस्तुत करते है।

(४) यदि, उप-धारा (१) के खण्ड (ग) से (ञ) द्वारा आवृत्त कार्यकारी परिषद का सदस्य उसकी लगातार तीन बैठकों के लिए कार्यकारी परिषद की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो वह कार्यकारी परिषद का सदस्य होने से परिविरत होगा है और उसका पद रिक्त हुआ समझा जायेगा।

कार्यकारी परिषद की बैठके।

२८. (१) कार्यकारी परिषद के तेरह सदस्यों से कार्यकारी परिषद के बैठक की गणपूर्ति होगी।

(२) (क) विश्वविद्यालय के वित्तीय प्राक्लन (बजट) के विचार-विमर्श और अनुमोदन समेत कार्यकारी परिषद की वर्ष में कम से कम सात बैठके होंगी।

(ख) कुलपति, जैसा वह उचित समझे और कार्यकारी परिषद के पांच सदस्यों से कम न हो लिखित में हस्ताक्षरित आवश्यकता पर, कार्यकारी परिषद ऐसी आवश्यकता की प्राप्ति के इक्कीस दिनों के भीतर, विशेष बैठक बुला सकेगा।

(ग) जब उप-धारा (२) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन कुलपति द्वारा कार्यकारी परिषद की बैठक के लिए दिनांक नियत किया जाता है तब रजिस्ट्रार ऐसी बैठक कार्यकारी परिषद के सदस्यों को लिखित में स्पष्ट दस दिन की सूचना देगा।

कार्यकारी परिषद की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

२९. (१) इस अधिनियम के उपबंधो के अध्यधीन और परिनियमों, आर्डिनेन्सों, या विनियमों के अध्यधीन, कार्यकारी परिषद निम्न शक्तियों का प्रयोग और निम्न कर्तव्यों का अनुपालन करेगी, अर्थात् :—

(एक) मोटे तौर पर विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों की रुप-रेखा बनाना ;

(दो) वित्त समिति द्वारा, तैयार किये गये वार्षिक वित्तीय प्राक्लन और वार्षिक लेखा पर टिप्पणी लिखना और अनुमोदित करना ;

(तीन) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना तथा पुनर्विलोकन करना तथा उस पर सुझाव देना ;

(चार) विश्वविद्यालय और विस्तारी शिक्षा, विस्तारी सेवाएँ, प्रायोगिकी अंतरण संस्थाओं द्वारा विहित पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करेवाली संस्थाओं और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना ;

(पाँच) यात्रा अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक और पारितोषिक समेत अध्येतावृत्ति मंजूर करना और देना ;

(छह) अध्ययन की ऐसी शाखाओं और पाठ्यक्रमों में शिक्षण, अध्यापन, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण जैसा कि वह उचित समझे अनुसंधान और ज्ञान के अभिवर्धन तथा प्रसारण के लिए उपबंध करना ;

(सात) ऐंसे उपबंध करना जो कि विशेष अध्ययन उपक्रमित करने और जहाँ आवश्यक या वांछनिय हो, सामान्य प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और शिक्षा और अनुसंधान के लिए उपकरण संगठित करना और उनका उपबंध करने में समर्थ बना सके ;

(आठ) महाविद्यालयों, विभागों, हॉल, छात्रावासों, व्यायामशाला और अनुसंधान एंव विशेष अध्ययनार्थ संस्थाओं को स्थापित और पोषित करना ;

(नौ) उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएँ संस्थित करना ;

(दस) अकादमिक परिषद के सुझाव पर, विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं को स्वायत्तता हैसियत प्रदान करना ;

(ग्यारह) आर्डिनेन्स और परिनियम बनाना, संशोधित या निरसित करना तथा कुलपति को ऐसे सुझाव देना जैसा कि वह उचित समझे ;

(बारह) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए किसी विनियमों को स्वीकृत करना, नामंजूर करना या पुनः निर्देशित करना ;

(तेरह) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को धारण करना, उनका नियंत्रण और उन्हें प्रशासिनित करना;

(चौदह) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसे सौंपी गई शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्योंके अनुपालन में विश्वविद्यालय की ओर से संविधाएँ करना, बदलना, कार्यान्वित करना और रद्द करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का स्वरुप अवधारित करना और उसकी अभिरक्षा और उपयोग के उपबंध करना ;

(सोलह) विशिष्ट प्रयोजनों के विश्वविद्यालय के निपाटन के लिए, रखी गयी निधियों को प्रशासित करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्र और अन्य आवश्यक साधनों का प्रबंध करना ;

(अठरा) विश्वविद्यालय की ओर न्यास, उत्तरदान, दान और विश्वविद्यालय को अन्तरित स्थावर और जंगम संपत्ति के अन्तरण को स्वीकार करना ;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय की ओर कोई भी स्थावर या जंगम संपत्ति का विक्रय, पट्टा या अन्यथा द्वारा अन्तरण करना ;

(बीस) विश्वविद्यालय का संचालन तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों का प्रबंध करना और उसके वित्त, लेखा, विनिधान और संपतियों को विनियमित करना और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विकास वित्त निगम जब कभी भी स्थापित किया जाए तो उसमें शामिल होने का निर्णय करना ;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय की ओर से निधियाँ उधार लेना, उधार देना या उनका विनिधान करना ;

(बाईस) निम्न विनिर्दिष्ट सेवाओं और कार्यों का, –

(एक) (क) मुद्रण और प्रकाशन विभाग ;

(ख) विश्वविद्यालय विस्तारित बोर्ड ;

(ग) सूचना ब्यूरो ;

(घ) रोजगार मार्गदर्शन ब्यूरो ;

(ङ) सहकारी संस्थाओं ; और

(च) स्वास्थ्य सेवाओं ;

(दो) (क) राष्ट्रीय सेवा योजना ;

(ख) राष्ट्रीय छात्र सेना ;

(ग) राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन ;

(घ) शारीरिक और सैनिकी प्रशिक्षण ;

(ङ) प्राकार बाह्य अध्यापन और अनुसंधान ;

(च) छात्र परिषद ; और

(छ) सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार की दशा में अन्य किन्हीं कार्यों का उपबंध करना ;

(तेईस) अन्य शाखाएँ और क्षेत्र या प्रादेशिक अध्ययन के लिए उपबंध करना ;

(चौबीस) विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित महाविद्यालयों, विभागों, अनुसंधान या विशेष अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, हॉल, छात्रावासों और व्यायामशालाओं का प्रबंध करना ;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय को शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए यदि और जहाँ भी आवश्यक समझे आवासों की व्यवस्था करेगा ;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय विभागों और महाविद्यालय में स्नातकोतर विभागों की उनकी शैक्षणिक योग्यता और जरुरतों का निर्धारण करने की दृष्टि से, निरीक्षण की व्यवस्था करना ;

(सत्ताईस) महाविद्यालय और मान्यताप्राप्त संस्थाओं, हॉल और छात्रवासों की शैक्षणिक योग्यता और जरुरतों का निर्धारण करने की दृष्टि से, उनके निरीक्षण का निदेश देना, जहाँ आवश्यक हो दक्षता बनाये रखने के लिये और छात्रों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ सुनिश्चित करने और उनके शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के नियोजन के उचित निबन्धनों और शर्तों के लिए, अनुदेश जारी करना और ऐसे अनुदेशों की अवहेलना करने की दशा में, उनकी मान्यता संबंधी शर्तों का उपांतरण करना या ऐसे अन्य उपाय करना जिसे वह आवश्यक समझे ;

(अट्ठाईस) महाविद्यालय और मान्यताप्राप्त संस्था के उचित संचालन कामकाज और वित्त से संबंधित किसी विषय के बारे में जाँच करना ;

(उनतीस) महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं, हॉल और छात्रावासों से रिपोर्ट, विवरणी और अन्य जानकारी मांगना ;

(तीस) परिनियमों द्वारा यथा विहित मानद उपाधियाँ और अकादमिक विशिष्टताएँ प्रदत्त करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश, आवास (छात्रावास में) आचरण और अनुशासन का पर्यवेक्षण करना और नियंत्रण रखना और उनके स्वास्थ्य और आम कल्याण की अभिवृद्धि के लिए उपबंध करना ;

(बत्तीस) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पद सृजित करना और उन्हें नियुक्त करना, उनकी अर्हताएँ विहित करना, उपलब्धियाँ निश्चित करना, उनके सेवा संबंधी निबंधन और शर्तों और अनुशासन को अवधारित करना और जहाँ आवश्यक हों उनके कर्तव्य अवधारित करना ;

(तैंतिस) विभिन्न वर्गों के अध्यापको के लिए अकादमिक परिषद द्वारा विहित अर्हताओं के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पद सृजित करना तथा उनकी नियुक्ति करना, इसमें अध्यापक के विशिष्ट पद के लिए विहित की जाए ऐसी अतिरिक्त अर्हता यदि कोई, भी सम्मिलित है, उनकी उपलब्धियाँ निश्चित करना, उनकी सेवा संबंधी निबंधनों तथा शर्तों और अनुशासन और उनके कर्तव्यों को परिभाषित करना।

(चौतिंस) यह सुनिश्चित करना कि सभी महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, अर्हता के अनुसार तथा सेवा संबंधी निर्बंधनो तथा शर्तों और अनुशासन के अध्यधीन की गई है तथा परिनियमों तथा आर्डिनन्सों द्वारा या के अधीन कर्तव्य विहित किये गए है ;

(पैतीस) महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था के किसी भी कर्मचारी को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रुप में मान्यता प्रदान करना तथा ऐसी मान्यता वापस लेना ;

(छत्तीस) परिक्षकों तथा अनुसीमको को नियुक्त करना तथा जहाँ आवश्यक हो, उन्हे हटाना, उनकी उपलब्धियाँ तथा फीस, यात्रा तथा अन्य भत्ते निश्चित करना तथा उचित आचरण और विश्वविद्यालय की परिक्षाओं और अन्य परीक्षणो के परिणाम यथासमय प्रकाशित करने के लिए प्रबंध करना ;

(सैंतीस) अनाचार की दशा में परीक्षाओं को अंशत: या संपूर्णतया रद्द करना तथा ऐसे अनाचार के लिए दोषी पाए गये किसी व्यक्ती या व्यक्तियो के समूह या संस्थाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ;

(अड़तीस) किसी भी परिक्षाओ के लिए अधीक्षको परिक्षको तथा अन्य कर्मचारि के रुप में नियुक्त किये गए व्यक्तियो के विरुद्ध, जहाँ आवश्यक हों, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ;

(उनतालीस) विश्वविद्यालय में भर्ती किये गये विद्यार्थियों के विरुद्ध, जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, इनमे किसी भी परीक्षाओ के लिए प्रविष्ट किये गये अभ्यर्थी भी सम्मिलित है ;

(चालीस) आर्डिनेन्स द्वारा यथा विनियमित ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार, निश्चित करना, उनकी माँग करना तथा उन्हे प्राप्त करना ;

(इकतालीस) महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थाओं को सम्यक् सूचना देने के पश्चात विश्वविद्यालय की सुविधाओ की अभिवृद्धि के लिए, जहाँ आवश्यक हो, महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं की सुविधाओं की अध्यपेक्षा करना ;

(बयालीस) इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों द्वारा प्रद्त्त या अधिरोपित की जाए, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना ;

(तैंतालीस) इस अधिनियम, या परिनियमों में उपबंधित से अन्यथा विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करना तथा इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों को प्रभावित करने के लिए, आवश्यक अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करना ; तथा

(चौवालीस) आर्डिनन्स बनाने की शक्ति के अतिरिक्त, अपनी कोई भी शक्तियाँ, कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन कुलपति, कुलसचिव या वित्त अधिकारी या विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त समिती को, जैसा वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करना।

(२) उप-धारा (१) के खण्ड (छ:) से (दस) तथा खण्ड (बत्तीस) से (पैंतीस) के अधीन शक्तियाँ तथा कर्तव्य, अकादमिक परिषद के परामर्श के बगैर, कार्यकारी परिषद द्वारा प्रयुक्त नहीं की जाएँगी ।

(३) कार्यकारी परिषद, आर्डिनन्स द्वारा, अपने प्रशासनिक कार्य कार्यान्वित करने तथा उनके गठन, कालावधि, कृत्य तथा प्रक्रिया परिभाषित करने के लिए, समितियाँ नियुक्त कर सकेगी ।

अकादमिक परिषद।

३०. (१) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय का मुख्य अकादमिक प्राधिकरण होगा तथा इसमें निम्न सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति, **पदेन** अध्यक्ष ;

(ख) अनुसंधान तथा विकास का संकायाध्यक्ष तथा संकायों के सभी संकायाध्यक्ष ;

(ग) विश्वविद्यालय के सभी प्रादेशिक केंद्रों तथा उप-केंद्रों के प्रमुख ;

(घ) विश्वविद्यालय के विद्यालयों तथा विभागों के प्रमुख ;

(ङ) संस्थाओं के दो प्रमुख या कुलपति द्वारा नामनिर्देशित मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा के प्रमुख उनके प्रतिनिधि (अध्यापक की श्रेणी से अनून न हो) ;

(च) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित मान्यताप्राप्त संस्थाओं के दस प्रधानाचार्य (या उनके प्रतिनिधि, आचार्य की श्रेणी से अनून न हो)

(छ) राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलायझर, बम्बई का अध्यक्ष या उसका प्रतिनिधि ;

(ज) सभी अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष ;

(झ) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं से दस विशेषज्ञ ;

(ञ) विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से एक, सहायक आचार्यों में से एक तथा सहयोगी प्राध्यापकों में से एक, उनकी वरीयता के चक्रानुक्रम से, कुलपति द्वारा नाम निर्देशित तीन प्राध्यापक।

(२) सभी नाम-निर्देशित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी :

परन्तु, जो सदस्य पद के आधार द्वारा सदस्य बने है, वे उस पद को धारण करने से परिविरत रहने पर, सदस्य होने से परिविरत हो जाएँगे ।

(३) प्रत्येक वर्ष में विद्यापरिषद की कम-से कम चार बैठकें होंगी ।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक की गणपूर्ति, उसके कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत सदस्यों से मिलकर होगी ।

अकादामिक परिषद की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

३१. (१) अकादमिक परिषद का, विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर बनाए रखने, अनुसंधान तथा परीक्षाओं पर नियंत्रण रहेगा तथा इसके लिए साधारण विनियम बनाएगी तथा इनके लिए दायी होंगी ।

(२) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा इस अधिनियम परिनियमों तथा आर्डिनन्सों के उपबंधों द्वारा या के अधीन विहित की जाए, ऐसी शर्तों के अध्यधीन अकादमिक परिषद निम्न शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा निम्न कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(क) अध्ययन पाठ्यक्रमों कों अधिकथित करने के लिए विनियम बनाना ;

(ख) सहबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में, विशेष पाठ्यक्रमों या विषयों के विभाजन के संबंध में विनियम बनाना ;

(ग) संकायों को विषय आबंटित करने के लिए प्रस्ताव करना तथा संकायों को उनके सदस्य समनुदेशित करना ;

(घ) महाविद्यालयों, विभागों, अनुसंधान तथा विशिष्ट पाठ्यक्रम की संस्थाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ तथा संग्रहालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव करना ;

(ङ) आचार्य पद, उपाचार्य पद, सहाचार्य पद, प्राध्यापक पद तथा विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित, अध्यापकों के कोई अन्य पदों को संस्थित करने तथा उसके कर्तव्यों को विहित करने के लिए प्रस्ताव करना ;

(च) अध्यापकों के विभिन्न वर्गों के लिए अर्हताएँ विहित करना, इसमें विश्वविद्यालय के विभागों या किसी महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्था में, अध्यापक के विशिष्ट पद के लिए अतिरिक्त अर्हता, यदि कोई भी सम्मिलित है ;

(छ) अध्येतावृत्तियाँ, यात्रा अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, प्रदर्शनों, पदको तथा पुरस्कारों को देने के लिए प्रस्ताव करना तथा उन्हें प्रदान करने के लिए विनियम बनाना ;

(ज) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए विनियम बनाना तथा ऐसी शर्ते बनाना जिनके आधार पर विद्यार्थी ऐसी परीक्षाओं के लिए सम्मिलित किए जाएँगे ;

(झ) विश्वविद्यालय की परीक्षा तथा परीक्षण विहित रित्या में ऑनलाईन मोड में संचालन के लिए उपबंध करना ;

(ञ) परीक्षाओं की समतुल्यता के लिए विनियम बनाना ;

(ट) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक उपलब्धियों को विशेषित करने के लिए विहित पाठ्यक्रम से छूट देने के लिए विनियम बनाना ;

(ट) विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों के संचालन का पर्यवेक्षण करना तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ शिक्षण की पद्धति, महाविद्यालयों के बीच शिक्षा प्रदान करने में सहयोग अनुसंधान का मूल्यांकन तथा शैक्षणिक स्तर के सुधार से संबंधित निदेश देना ;

(ड) अंतर-संकाय समन्वय को प्रभावी करना तथा अंतर-संकाय आधार पर परियोजनाओं में लगाने के लिए समितियों या बोर्डो की नियुक्ति करना ;

(ढ) विद्यमान पाठ्यक्रमों की उपयोगिता तथा व्यवहार्यता का पुनरीक्षण करने तथा नये ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुनरीक्षित तथा उपांतरित करने की वांछनीयता तथा आवश्यकता, के लिए समितियाँ या बोर्डों की नियुक्ति करना ;

(ण) अंतर-संकाय का संचालन तथा क्षेत्र या प्रादेशिक अध्ययन के लिए प्रस्ताव करना ;

(त) विश्वविद्यालय के उचित संचालन के लिए तथा अनुशासन, आवास (छात्रावास में), संगठित जीवन विद्यार्थियों की उपस्थिति की शर्तों के लिए, जैसा वह उचित समझे, ऐसे अन्य विनियम बनाना, उसमें उन्हें फिस में रीयायत देना भी सम्मिलित है ;

(थ) इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों द्वारा या के अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित की जाए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना ;

(द) सहबद्धता देना, सहबद्धता जारी रखना, महाविद्यालय के सहबद्धता का विस्तार तथा मान्यता, मान्यता जारी रखना, उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान तथा विशेष पाठ्यक्रम की संस्थाओं की मान्यता का विस्तार करने के लिए मान विहित करना ;

(ध) योजना तथा मूल्यांकन (मानिटरींग) बोर्ड की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद को उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान तथा विशेष पाठ्यक्रम संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की सिफारिश करना ;

(न) परिनियमों के उपबंधों के संबंध में कार्यकारी परिषद की विश्वविद्यालय संस्थाओं, विभागों सहबद्ध या संचालित महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं पर स्वायत्त प्रतिष्ठा प्रदान करना ; तथा

(प) विश्वविद्यालय की साधारणतः सभी शैक्षिक विषयों पर सलाह देना ;

योजना तथा मूल्यांकन (मानिटरिंग) बोर्ड।

३२. (एक) योजना तथा मूल्यांकन (मानिटरिंग) बोर्ड विश्वविद्यालय प्रमुख योजना निकाय होगा तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुसार विश्वविद्यालय के विकास को मानिटर करने के लिए भी जिम्मेदार है । वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुसार विकास योजना के लिए, भौतिक और अकादमिक दोनों का और अध्यापन और अध्यायनेत्तर संसाधनो का मानिटरींग करने और बोर्ड को व्यापक दृष्टि प्रदान करने और नीति की संरचना और विश्वविद्यालय के विभागों, सहबद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओंकी अकादमिक संपरीक्षा का संयोजन भी करेगी। वह सहबद्ध महाविद्यालयोंके स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर अकादमिक कार्यक्रम की योजना, मानिटर मार्गदर्शक और समन्वयन भी करेगी।

(२) योजना और मूल्यांकन (मानिटरींग) बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) कुलपति, पदेन अध्यक्ष ;

(ख) निदेशक तकनिकी शिक्षा या उसका प्रतिनिधी, संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का ;

(ग) कार्यपालक परिषद पर कुलपधिपति का नामनिर्देशिति ;

(घ) क्षेत्रिय केंद्रो के चार प्रतिनिधि, हर एक एक उप-केंद्र से एक होकर, कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा ;

(ङ) उप केंद्रो के पाँच प्रतिनिधि, हर एक उप केद्र से एक, चक्रानुक्रम द्वारा कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाऐगा ;

(च) अनुसंधान और विकास के संकायध्यक्ष और संकायाध्यक्षों में से एक सदस्य, वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम पर ;

(छ) कार्यपालक परिषद द्वारा नामनिर्देशित दो सदस्य ;

(ज) अकादमिक परिषद द्वारा नामनिर्देशित दो सदस्य ;

(झ) रजिस्ट्रार, बोर्ड के सचिव के रुप में कार्य करेगा ;

परंतु, खंड (ज) और (छ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य, उन व्यक्तियों में से होगे जो, कार्यपालक परिषद या अकादमिक परिषद की राय में योजना और मूल्यांकन में विशेषज्ञ है।

(३) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि, तीन वर्ष की होगी।

(४) योजना और मूल्यांकन बोर्ड, इष्टकर समझे ऐसे अंतरालों पर, बैठके लेगा किन्तु, वर्ष में कमसेकम तीन बैठकें होनी चाहिये।

योजना और मूल्यांकन (मानिटरिंग) बोर्ड की शक्तियाँ और कर्तव्य।

३३. इस अधिनियम या परिनियम, अध्यादेश या विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, योजना और मूल्यांकन (मानिटरींग) बोर्ड, निम्न शक्तियों का प्रयोग करेगा, और निम्न कर्तव्यों का अनुपालन करेगा अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के संबंध में, बोर्ड विकास कार्यक्रमों की शिक्षा में कार्यपालक परिषद को सिफारिश करना;

(ख) विश्वविद्यालय के भीतर अनुदेश, शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और परीक्षाओं का दर्जा बनाये रखने का पुनरीक्षण करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के विभाग, विद्यालय सहबद्ध महाविद्यालयों के स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर विभागों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं का उनके अकादमिक पालन और जरूरतों का निर्धारण करने की दृष्टि से निरीक्षण करने का प्रबंध करना ;

(घ) महाविद्यालय और मान्यताप्राप्त संस्था, सभागृह और छात्रावास के क्रम में कार्यपालक परिषद और अकादमिक परिषद को उनके अकादमिक अनुपालन और जरूरतों का निर्धारण करने, जहाँ आवश्यक हो, पारदर्शिता, पर्याप्त छात्र सुखसुविधाओं की सुनिश्चिति, उनके शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की उचित रोजगार के निबंधन और शर्तों को बनाये रखना की शिफारिश करने और मान्यता की शर्तें या उसे आवश्यक समझे ऐसे अन्य उपायों के उपांतरण की सिफारिश करना ;

(ङ) अकादमिक परिषद और कार्यपालक परिषद को किसी मामले पर सलाह देना जो, उसे विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे ;

(च) इस अधिनियम में अधिकथित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की दृष्टि से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के परिप्रेक्ष्य विकास योजनाएँ, दोनों लघु-आवधिक और दीर्घ-आवधिक और राज्य और राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी देयता तैयार करना और उसे महाराष्ट्र राज्य उच्च तकनीकी शिक्षा परिषद, राज्य सरकार और कुलाधिपति को प्रस्तुत करना ।

(छ) कार्यपालक परिषद को विभागों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के विकास और सहयोगी कार्यक्रमों की सिफारिश करना ;

(ज) कार्यपालक परिषद को समस्त ऐसे अनुमोदित विकास और सहयोगी कार्यक्रमों के मानिटर करना और प्रगति रिपोर्ट देना और उसे महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राज्य सरकार और कुलाधिपति को वर्ष में एक बार प्रस्तुत करना ;

(झ) विकास परियोजनाओं के संबंध में विश्वविद्यालय के विभागों, स्नातकोत्तर केंद्रो, महाविद्यालय और मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुदानों के उपयोग का मूल्यांकन और निर्धारण करना और अकादमिक परिषद को रिपोर्ट भेजना ;

(ञ) वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्र में, प्रशिक्षित व्यक्तियों के मनुष्यशक्ति की आवश्यकताओं का निर्धारण करना और अध्ययन के सुसंगत पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने और सफल बनाने के लिए अकादमिक परिषद को आवश्यक सिफारिशें करना ;

(झ) विश्वाविद्यालय, मान्यताप्राप्त संस्थाऐं या विभागों, स्नातकोत्तर केंद्रो और महाविद्यालयों के विकास और सहयोगी कार्यक्रमों की अकादमिक संपरीक्षका आयोजन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राष्ट्रीय निर्धारण प्रत्यापन परिषद की मार्गदर्शिका के अनुसार कम से कम तीन वर्षों में एक बार या पहले करना, यदि आवश्यक समझा जाये तो और कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय को आवश्यक सिफारिशें करना ;

(ट) विश्वविद्यालय के सहबद्धता के लिए नवीन महाविद्यालय या संस्थाओं की स्थापना करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करना और परिनियमों द्वारा यथा उपबंधित राज्य सरकार को अग्रेषित करने के लिए उसकी प्रक्रिया करना ।

वित्त समिति उसका गठन, बैठकें और शक्तियाँ।

३४. (१) वित्त समिति, निम्न से बनेगी,—

(क) कुलपति, **पदेन** अध्यक्ष ;

(ख) तकनीकी शिक्षा निदेशक या उसका प्रतिनिधि, संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का ;

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक प्रतिनिधि ;

(घ) क्षेत्रीय केंद्र के चार प्रतिनिधि होंगे, जिनमें से कुलपति द्वारा हर एक क्षेत्रीय केंद्र के लिए एक नामित किया जायेगा ।

(ङ) चक्रानुक्रम द्वारा कुलपति द्वारा उप केंद्रों के तीन प्रतिनिधि व्यक्ति लिये जाऐंगे।

(च) अनुसंधान और विकास संकायाध्यक्ष में से दो सदस्य और अकादमिक परिषद द्वारा संकायाध्यक्ष नामित किये जायेंगे ;

(छ) कार्यकारी परिषद द्वारा उसके सदस्यों में से दो सदस्य नामनिर्देशित किये जायेंगे, जिसमें से एक कार्यकारी परिषद पर कुलाधिपति का नामनिर्देशित होगा ;

(ज) राज्य सरकार द्वारा नामित एक सदस्य ; और

(झ) रजिस्ट्रार ।

(२) वित्त अधिकारी, वित्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(३) वित्त समिति की बैठक की गणपूर्ति, चार सदस्यों से होगी ।

(४) **पदेन** सदस्यों से अन्य वित्त समिति के सभी सदस्य, तीन वर्षों की पदावधि के लिए पद धारण करेंगे ।

(५) वित्त समिति, प्रत्येक वर्ष में तीन बार लेखाओं और व्यय की प्रगति और उपलब्ध बजटरी प्रावधानों को उजागर करने के नवीन व्यय सम्मिलित सभी नवीन प्रस्तावों का परीक्षण करेगी ।

(६) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वित्तीय प्राक्कलन, विचार करने और सिफारिशें करने के लिए वित्त समिति के सामने रखा जायेगा और तत्पश्चात्, कार्यपालक समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा ।

(७) वित्त समिति, उसके समाधान के लिए वार्षिक लेखाओं की संवीक्षा करेगी कि संवितरित की गई रकम, जिसके लिए खर्च करनी की उस प्रयोजनों के लिए उचित रूप से उपलब्ध की गई है और वह उपगत खर्च इस अधिनियम, परिनियमों या आर्डिनेन्सों के उपबधों के अनुसार किया गया है । वित्त समिति, अपनी रिपोर्ट समय-समय पर अपनी रिपोर्ट कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत करेगी और किन्हीं खामियाँ या अनियमितताओं जो उसके निदर्शन में आयी हैं उस पर कार्यवाही करने का कोई सुझाव देगी और तत्पश्चात्, कार्यपालक परिषद, वह आवश्यक समझे ऐसी कार्यवाही कर सकेगी ।

(८) वित्त समिति, उत्पादक कार्यों के लिए दिये गये कर्जों की कार्यवाहियों समेत, विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों के आधार पर वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए की सीमाएँ कार्यपालक परिषद को सिफारिश करेगी ।

(९) वित्त समिति, कार्यपालक परिषद द्वारा नियुक्त किये गये लेखापरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित किये गये विश्वविद्यालय के लेखाओं के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ।

(१०) पदों का सृजन, पुनरीक्षण और वेतनमानों के उन्नयन और कार्यकारी परिषद द्वारा जिनका विचार करने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षण किये गये बजट में जो मदें नहीं है, उनके संबंधी सभी प्रस्ताव होंगे ।

(११) वित्त समिति की शक्तियाँ और कर्तव्य और उसके बैठक की प्रक्रिया, परिनियमों द्वारा विहित किये जाये ऐसी होगी ।

अध्ययनों के बोर्ड ।

३५. परिनियमों के अधीन विहित किया जाये ऐसा, प्रत्येक विषय या विषयों के समूह के लिए एक अध्ययनों का बोर्ड होगा, बोर्ड, निम्न से बनेगा,—

(क) संबंधित अध्ययनों के विश्वविद्यालय के विद्यालय के प्रमुख ;

(ख) विश्वविद्यालय विभाग या विभागों के विशिष्ट विषयों में मान्यताप्राप्त और संचालन करनेवाले संस्थाओं के प्रमुख, यदि कोई हो ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो विषय का विशेष ज्ञान रखता है ; और

(घ) दो प्रोद्योगिकी, शिक्षक जो मान्यताप्राप्त और संचालन करनेवाली संस्थाओं में विश्वविद्यालय विभाग या विभागों के प्रमुख नहीं है उनमें से बोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायेंगे :

(२) सदस्यों के पद की पदावधि तीन वर्ष की होगी ।

(३) विश्वविद्यालय के विद्यालय के विषयों के प्रमुख अध्ययनों के बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

परंतु, यदि उस विषय में विश्वविद्यालय में कोई विद्यालय नहीं है, तो कुलपति द्वारा अध्यक्ष को नामित किया जाएगा ।

(४) अध्ययनों के बोर्ड की शक्तियाँ, कुल और कर्तव्य निम्न होंगे,—

(क) कार्यपालक परिषद या अकादमिक परिषद या से अन्यथा द्वारा, उसकी संवीक्षा के भीतर, के विषय या विषयों के समूह में अध्ययन के पाठ्यक्रमों के संदर्भ पर, सिफारिश करना ;

(ख) अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यपुस्तकों समेत पुस्तकों की सिफारिश करना ;

(ग) किसी विषय या विषयों के समूह में लेखकों तथा अन्य विद्वानों के ग्रंथों या पुस्तकों या संकलनें तथा साहित्य संग्रहों की रूप रेषा तथा लेखकों तथा विद्वानों के नामों तथा उन व्यक्तियों के नामों सहित जिन्हें उनकी राय में चयन के लिये नियुक्त किया जाना चाहिये, उसकी सिफारिश करना, ताकि उसके अनुमोदन, तैयारी और प्रकाशन कों के लिए अग्रेषित किया जा सकें ; और

(घ) ऐसे विषयों या विषयों के समूह में परीक्षाओं के बारे में महत्वपूर्ण मामलों को योजना मूल्यांकन (मानिटरींग) बोर्ड, विद्या परिषद या, यथास्थिति कार्यकारी परिषद के ध्यान में लाना ।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण ।

३६. संकाय या ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें विश्वविद्यालय प्राधिकरणों के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाये, गठन, शक्तियाँ तथा कर्तव्य इस प्रकार होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये ।

प्राधिकरणों के सदस्यों की अनर्हता ।

३७. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का सदस्य बनने से अनर्ह होगा यदि वह,—

(क) विकृत वित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ;

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(ग) नैतिक पतनवाले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है ;

(घ) कहीं से भी किसी भी प्रकार के किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने या बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया हैं ।

(ङ) परीक्षा के संबंध में, किसी गोपनीय मामले में, किसी भी रीत्या में, चाहे जो भी हो, जो उसकी कार्यालयीन स्थिति के कारण, जो ज्ञान उसके कब्जे में है जनता में प्रकट करता है या प्रकट करवाने का कारण बनता है ।

प्राधिकरणों के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र ।

३८. पदेन सदस्य से अन्य सदस्य, उसके हस्ताक्षर के अधीन लिखकर त्यागपत्र दे सकता है । कुलाधिपति का नामनिर्देशिति, कुलाधिपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है तथा कोई अन्य सदस्य कुलपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है । कुलाधिपति या, यथास्थिति, कुलपति द्वारा उसके त्यागपत्र को स्वीकृत करने पर वह व्यक्ति सदस्य बने रहने से परिविरत हो जायेगा ।

अध्याय पाँच

परिनियम, ऑर्डिनन्स तथा विनियम ।

परिनियम।

३९. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, परिनियम, निम्न विषयों में से सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ तथा कर्तव्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ;

(ग) कुलपति का परिलाभ और सेवा, की अन्य शर्ते और उसकी शक्तियाँ ओर कर्तव्य ;

(घ) विश्वविद्यालय के विभिन्न कर्मचारियों के पदाभिधान, अहर्ताएँ, भर्ती की पद्धतीयाँ, वेतनमान, भत्ता और कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणीयों के सेवा की शर्ते और उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य ;

(ङ) संकाय या अध्ययन बोर्ड का गठन या पुनर्गठन या उत्सादन तथा उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य;

(च) शिक्षण विभागों की संचलित संस्थाओं की स्थापना ;

(छ) मानद उपाधियों तथा अकादमिक विशेष योग्यताएँ प्रदान करना ;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कल्याण के लिए निवृत्तीवेतन या भविष्य निधि या बीमा योजना या सभी उसमें से कोई एक या अधिक संस्थित करना ;

(झ) आचार्य, सहायक आचार्य, व्याख्याता, प्राध्यापक, निदर्शक और विश्वविद्यालय के या मान्यताप्राप्त संस्थाओं के शैक्षणिक वर्ग के अन्य सदस्यों की अहर्ताएँ ;

(ञ) स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का बनाए रखना ;

(ट) विश्वविद्यालय को परीक्षाओं के समान अन्य विश्वविद्यालयों की या शैक्षणिक संस्थाओं की परीक्षाओं को मान्यता देना ;

(ठ) कोई बात जो इस अधिनियम के अधीन विहित करनी है या विहित की जा सकेगी ; और

(ड) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक कोई अन्य बात ।

परिनियम कैसे बनाये जाये।

४०. (१) धारा ३९ में दी गयी सभी या किन्हीं बातों को ध्यान में रखकर, विश्वविद्यालय के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक परिनियम, कुलाधिपति के अनुमोदन से, प्रथम कुलपति द्वारा बनाये जायेगें ।

(२) कार्यकारी परिषद, इसमें उपबंधित रीती में, समय-समय पर, नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या परिनियम में संशोधन या उसे निरसित कर सकेगी ।

(३) कार्यकारी परिषद, यदि वह आवश्यक समझें जो, ऐसे किसी परिनियम के प्रारूप के संबंध में, जो उसके समक्ष विचारार्थ रखा गया है विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्रधिकरण की राय भी प्राप्त कर सकती है ।

(४) कार्यकारी परिषद द्वारा पारित प्रत्येक परिनियम कुलधिपति के पास भेजा जायेगा, जो उसे अपनी अनुमती दे सकेगा या विधारित कर सकेगा या पुनः विचारार्थ कार्यकारी परिषद के पास वापस भेज सकेगा ।

(५) कार्यकारी परिषद द्वारा पारित कोई भी परिनियम, तब तक वैध नहीं होगा या प्रवर्तमान नहीं होगा जबतक कुलधिपति की अनुमति नहीं मिलती है ।

(६) पूर्वगामी उप-धाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति या तो **स्वविवेक** से या राज्य सरकार की सलाह पर, उसके द्वारा विनिर्दीष्ट किसी मामले के संबंध में विश्वविद्यालय को परिनियम में उपबंध करने का निदेश दे सकेगा और यदि कार्यकारी परिषद वह प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर ऐसा निदेश लागू करने में विफल रहता है तो, कुलधिपति, कार्यकारी परिषद द्वारा उस निदेश का पालन करने में बताई गई अपनी असमर्थता के कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद परिनियमों को यथोचित बना सकेगी या उसमें संशोधन कर सकेगी ।

ऑर्डिनेन्स। **४१.** इस अधिनियम तथा परिनियमों के अध्यधीन, कार्यकारी परिषद, निम्न सभी या किन्हीं मामलों का उपबंध करने के लिए अर्डिनेन्स बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) ऐसी शर्ते जिनके अधीन उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टताओं के अध्ययन के पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ;

(ख) विश्वविद्यालय तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में, ऐसे पाठ्यक्रमों में शामिल होने हेतु, प्रवेश की छात्रों से प्रभार्य फीस, जिसमें ट्यूशन फीस तथा छात्रावास प्रभार भी सम्मिलित होंगे जो की, यथा संभव एक ही स्थानीय क्षेत्र में स्थित संस्थाओं के समान होंगे, उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तथा अन्य शैक्षणिक योग्यताओं में प्रवेशार्थ तथा स्नातकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए समान होगी ;

(ग) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास (छात्रावास) में आचरण तथा अनुशासन संबंधी शर्ते तथा अनुशासन भंग या अनाचार के लिए उनके विरुद्ध की जानेवाली कार्यवाही जिसमें निम्न शामिल है :—

(एक) स्वयं या किसी अन्य छात्र द्वारा परीक्षा में या के सम्बन्ध में, अनुचित साधनों का उपयोग या उसका दुष्प्रेरण ;

(दो) किसी परीक्षा के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा या विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी जांच में उपस्थित होने या साक्ष्य देने से इन्कार करना ;

(तीन) विश्वविद्यालय के भीतर या बाहर उश्रृंखल या अन्यथा आपत्तिजनक आचरण ;

(घ) विश्वविद्यालय विभागों, विद्यालयों, सहबद्ध महाविद्यालयों, प्रादेशिक केंद्रो, उप केंद्रो तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों की अर्हताएँ तथा वर्गीकरण ;

(ङ) परीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्यों संबंधी शर्ते ;

(च) परीक्षाओं तथा अन्य परीक्षणों का संचालन तथा रीति जिसके अनुसार, परीक्षार्थी परीक्षकों द्वारा जाँचे जायेगें या उनकी परीक्षा की जाएगी ;

(छ) हॉल तथा छात्रावासों की मान्यता ;

(ज) सहबद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं हॉल तथा छात्रावासों का निरीक्षण ;

(झ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों को मान्यता देना तथा ऐसी शर्ते जिनके अध्यधीन व्यक्तियों को विश्वविद्यालयों, सहबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थांओं में शिक्षा देने के लिये अनुदेश के रुप में मान्यता दी जा सकेगी;

(ञ) विश्वविद्यालय के लिये या निमित्त संविदाओं या करारों को निष्पादित करने की पद्धति ;

(ट) छात्रों के स्थानान्तरण संबंधी मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालनीय तथा लागू किये जानेवाले नियम ;

(ठ) संचालित या मान्यताप्राप्त संस्थाओं में छात्र संगठन तथा संगठनों की शक्तियाँ तथा कृत्य ;

(ड) अन्य समस्त मामलें जिनका इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या के अधीन आर्डिनन्सों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाये ; तथा

(ढ) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या के अधीन कार्यकारी परिषद को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोजनार्थ या उसपर अधिरोपित कर्तव्यों के पालनार्थ, सामान्यत, ऐसे समस्त मामले जिनके संबंध में कार्यकारी परिषद की राय में, उपबंध करना आवश्यक हैं।

ऑर्डिनेन्स कैसे बनाएँ।

४२. (१) धारा ३५ में दी गई सभी बातों को ध्यान में रखकर, विश्वविद्यालय के प्रभावी कामकाज के लिये आवश्यक प्रथम ऑर्डिनन्स कुलाधिपति के अनुमोदन में, प्रथम कुलपति द्वारा बनाया जा सकेगा ।

(२) कार्यकारी परिषद, इसमें आगे उपबंधित रीति में ऑर्डिनन्स बना सकेगा, उसमें संशोधन कर सकेगा या निरसित कर सकेगा।

(३) कार्यकारी परिषद द्वारा तबतक कोई ऑर्डिनेन्स नहीं बनाया जाएगा जबतक उसका प्रारूप अकादमिक परिषद द्वारा प्रस्तावित नही किया जाता है।

(४) कार्यकारी परिषद को उप-धारा (३) के अधीन अकादमिक परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप में संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी, परन्तु वह अस्वीकार कर सकेगी या उसे किन्ही संशोधनों के साथ जैसा की कार्यकारी परिषद सुझाव दे, अंशतः या पूर्णतः पुनर्विचारार्थ अकादमिक परिषद के पास वापस भेज सकेगी ; तथा अकादमिक परिषद, कार्यकारी परिषद द्वारा सुझाव दिये गये संशोधन पर विचार करने के पश्चात्, कार्यकारी परिषद को ऑर्डिनेंन्स का प्रारूप प्रस्तावित करेगी तथा कार्यकारी परिषद तद्नुसार, ऑर्डिनेंस बनायेगी।

(५) कार्यकारी परिषद द्वारा बनाये गये समस्त ऑर्डिनेन्स ऐसे दिनांको से प्रवर्तमान होंगे जैसा कि वह निदेश दे, किन्तु इसप्रकार बनाया गया प्रत्येक ऑर्डिनन्स स्वीकृति से दो सप्ताहों के भीतर, कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा। कुलाधिपति को, ऐसा ऑर्डिनन्स प्राप्त होने के बाद चार सप्ताहों के भीतर, कार्यकारी परिषद को, उसके प्रवर्तन को निलंबित करने के लिये निदेश देने की शक्ति प्राप्त होगी तथा वह यथा सम्भव शीघ्र कार्यकारी परिषद को उसके प्रति अपने आपत्ति की जानकारी देगा। वह, कार्यकारी परिषद की टिप्पणी प्राप्त करने के बाद या तो ऑर्डिनेन्स को निलंबित करने संबंधी आदेश को वापस लेगा या ऑर्डिनेन्स को अस्वीकार करेगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

विनियम तथा नियम।

४३. (१) विश्वविद्यालय के प्रभावी कामकाज के लिये आवश्यक प्रथम विनियम तथा नियम कुलाधिपति के अनुमोदन से प्रथम कुलपति द्वारा बनाये जा सकेंगे ।

(२) अकादमिक परिषद, इस अधिनियम, परिनियम तथा ऑडिनेन्सों से संगत, ऐसे सभी तथा किन्हीं मामलों संबंधी जिनका उपबंध इस अधिनियम, परिनियमों तथा ऑर्डिनेन्सों द्वारा या के अधीन विनियमों द्वारा करता है, या किया जा सके तथा पूर्णतः अपने से संसक्त अन्य समस्त मामलों संबंधी विनियम बना सकेगी ।

(३) विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकरण या निकाय, कार्यकारी परिषद के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन –

(क) उसकी बैठकों के दिनांको तथा समयों तथा उनमें किये जानेवाले कामकाज के लिये नोटीस देने के लिये ;

(ख) उसकी बैठकों में अनुपालनीय प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या विनियमित करने तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने के लिये;

(ग) इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनन्सों या विनियमों द्वारा या के अधीन, ऐसे मामलों के बारे में जो नियमों द्वारा अवधारित किये जाते है या किये जा सकेंगे उन सभी मामलों के लिये उपबंध करने हेतु; तथा

(घ) ऐसे प्रधिकरण या निकास से पूर्णतः संबंधित अन्य समस्त मामलों के लिए उपबंध करने हेतु, इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेन्सों तथा विनियमों से संगत नियम बना सकेंगा ।

(४) ऐसे नियम, कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत किए जायेंगे, जो उन्हें बनाने वाले प्राधिकरण के निकाय की राय प्राप्त करने के बाद तथा इस पर विचार करने के बाद ऐसी रिती में होंगे जैसी वह उचित समझ कर उनमें संशोधन कर सकेगी या उन्हें विलोपित कर सकेगी ।

अध्याय छह

शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम परिकल्पना और विकास केंद्र

शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम परिकल्पना और विकास केंद्र की स्थापना और जिम्मेदारियाँ।

४४. (१) विश्वविद्यालय, परिनियमों द्वारा विहित रितिमें शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम परिकल्पना और विकास केंद्र की स्थापना करेगा ।

(२) पाठ्यक्रम परिकल्पना और विकास केंद्र, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए योजना, परिकल्पना, समन्वयन, विकास और मूल्यांकन प्राधिकरण होगा ।

(३) पाठ्यक्रम, परिकल्पना और विकास केंद्र का, कर्तव्य निम्न होगा,–

(क) प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम विकसित करना, समाज की समस्त प्राथमिकताएँ परिप्रेक्ष्य और जरुरतें और उद्योग से अपेक्षाओं को ध्यान में रखना ;

(ख) विश्वविद्यालय के पढाई स्त्रोतों को विकसित करना ;

(ग) समाज की माँगों और उद्योग से अपेक्षाओं को पहचान ने लिए कदम उठाना और तद्नुसार, छात्रों और शिक्षकों के पाठ्यक्रम परिकल्पित करना और प्रशिक्षण देना ;

(घ) शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पद्धतिकरण विकसित करना और उसके लिए प्रशिक्षण सामग्री सूचित करना ;

(ङ) शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए उप केंद्रो और प्रादेशिक केंद्रो के साथ समन्वयन करना और सशक्त करना और ऐसे अन्य प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा निदेशित होंगे ।

(४) पाठ्यक्रम परिकल्पना और विकास केंद्र, विश्वविद्यालय के संयुक्त निदेशक की प्रमुखता में होंगे ।

अध्याय सात

प्रादेशिक केंद्र और उप केंद्र

प्रादेशिक केंद्र।

४५. (१) परिनियमों द्वारा अधिकथित रीति में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए जायेंगे और विश्वविद्यालय सुविधाओं, संकाय और कर्मचारियों की प्रशंसावाले उसके सुसंगत युनिट को प्रवर्तित करेंगे और बनाये रखेंगे।

(२) प्रत्येक प्रादेशिक केंद्र की प्रमुखता, विहित रिति में कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त निदेशक द्वारा की जायेगी और विश्वविद्यालय के कुलपति को रिपोर्ट की जायेगी।

(३) प्रादेशिक केंद्र सभी या निम्न, किन्हीं प्रभागों का कक्षों में कम्पस के भीतर, स्थापित किये जायेंगे, और उचित समझे ऐसी अन्य सुविधा दी जायेगी ।

(क) परीक्षा कक्ष ;

(ख) अनुसंधान तथा विकास और उद्योग समन्वयन कक्ष ;

(ग) प्रशासन और वित्त कक्ष ;

(घ) सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी कक्ष ;

(ङ) छात्र प्रतितोष केंद्र ।

(४) उप-धारा (३) में विनिर्दिष्ट हर एक प्रभाग या कक्ष, विहित रीति में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये संयुक्त निदेशक द्वारा प्रमुखता में होगा ।

उपकेंद्र।

४६. (१) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित उपकेंद्र परिनियमों द्वारा रित्या समय-समय पर अधिकथित किए जाएंगे : जो विश्वविद्यालय की सुखसुविधाएँ, संकाय और कर्मचारीवृंद कर्मचारीयों की प्रशंसा वाले उसके सुसंगत युनिट के रूप में प्रवर्तित करेंगे और बनाए रखेंगे ।

(२) सभी उपकेंद्र, के संयुक्त निदेशक की प्रमुखता में होकर विहित रित्या में नियुक्त किए जाएंगे और विश्वविद्यालय के संबंधित प्रादेशिक केंद्र के निदेशक को रिपोर्ट की जायेगी ।

(३) कॅम्पस के भीतर, निम्नलिखित सभी या कोई एक प्रभागों या कक्षौ में उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे ; जैसा उचित समझे ऐसी अन्य सुविधाएँ दी जाएगी ।

(क) परीक्षा कक्ष ;

(ख) प्रशासन और वित्त कक्ष ;

(ग) सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी कक्ष ;

(घ) छात्र प्रतितोष केंद्र.

(४) विशेषतः उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट हर एक प्रभाग या कक्ष की प्रमुखता, विश्वविद्यालय द्वारा विहित रित्या नियुक्त किए गये उपनिदेशक द्वारा की जायेगी ।

अध्याय ८

अनुज्ञा, संबद्ध और मान्यता

संबद्ध किये जाने और मान्यता दी जाने की शर्ते।

४७. (१) संबद्ध किये जाने या मान्यता के लिए आवेदन करनेवाला प्रबन्ध मंडल तथा वह प्रबन्ध मंडल जिसके महाविद्यालय या संस्था को संबद्ध किया गया या मान्यता अनुदत्त की गई है वह निम्न परिवचन देगा तथा उसका अनुपालन करेगा कि,

(क) अधिनियम के उपबंधों, तथा परिनियमों, अध्यादेश, विनियमों तथा तद्धीन निर्मित नियमों तथा विश्वविद्यालय के स्थायी आदेशों तथा निदेशों का अनुपालन किया जायेगा ;

(ख) पाठ्यक्रम के लिए सम्मिलित किए गए विद्यार्थियों की संख्या विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गई सीमा से अधिक नहीं होगी ;

(ग) अध्यापन तथा अनुसंधान के लिए अपेक्षित भौतिक सुविधा जैसे कि भवन प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पुस्तकें, उपस्कर, तथा छात्रावास, जिमखाना उचित तथा पर्याप्त होनी चाहिए जैसा कि विहित किया जाए ।

(घ) महाविद्यालय या संस्था के वित्तीय साधन ऐसे होने चाहिए ताकि इसके निरंतर अनुरक्षण तथा कार्य के लिए सम्यक् उपबंध किया जाए ।

(ङ) संबद्ध महाविद्यालय तथा मान्यताप्राप्त संस्था का अध्यापन कर्मचारी वृंद तथा अध्यापनेतर कर्मचारीवृंद तथा अध्यापनेतर कर्मचारी वृंद की संख्या तथा अर्हताएँ तथा संबद्ध महाविद्यालय के कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा सेवा के निबंधन तथा शर्ते ऐसी होंगी जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा विहित किया जाए तथा जो पाठ्यक्रमों, अध्यापन या प्रशिक्षण या अनुसंधान को दक्षतापूर्वक करने के लिए सम्यक् उपबंध बनाने के लिए पर्याप्त होंगी ;

(च) समस्त अध्यापन तथा अध्यापनेतर कर्मचारी की सेवाएँ तथा संबंद्ध किये गये महाविद्यालयों की सुविधा विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित करने तथा अन्य गतिविधियों का संप्रवर्तित करने के लिए उपलब्ध की जायेगी ;

(छ) इस अधिनियम के उपबंधो, परिनियमों,ऑर्डिनेंसो आदि के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति तथा अन्य अधिकारियों द्वारा जारी किये गए निदेशों, और आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ;

(ज) विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के बिना, प्रबंध मंडल में कोई परिवर्तन या उसका अंतरण नहीं किया जायेगा ;

(झ) विश्वविद्यालय कि पूर्वानुमति के बिना, कोई महाविद्यालय या संस्था बंद नही की जाएगी ;

(ञ) धारा ५८ के अधीन, महाविद्यालय या संस्था के असंबद्धीकरण या मान्यता वापस लेने या

उन्हें बंद करने की स्थिति में महाविद्यालय या संस्था की समस्त आस्तियाँ, भवन तथा उपस्कर समेत जो राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान के रूप में अदा की गई रकम में संनिर्मित या बनाए गये है, राज्य सरकार में निहित किये जायेंगे ।

(२) कोई महाविद्यालय, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय का भाग नहीं है, तो वह मूल विश्वविद्यालय द्वारा जब तक " अनापत्ति प्रमाणपत्र " नहीं दिया जाता है तब तक संबद्ध किये जाने के लिए, विचार नहीं किया जायेगा ।

मंजूरी की प्रक्रिया।

४८. (१) विश्वविद्यालय, उच्चतर शिक्षण संस्थाओ के स्थान के शैक्षणिक विकास के लिए संदर्शी योजना तैयार करेगा जो कि ऐसी रित्या में होगा जिसमें, उच्चतर शिक्षण की सुविधाओं का समान बटवारा सुनिश्चित होगा जिसमें विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर, सेवाएं अप्राप्त या कम विकसित क्षेत्रों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । ऐसी योजना अकादमिक विश्वविद्यालय के योजना मूल्यांकन और अनुरक्षण बोर्ड द्वारा तैयार की जायेगी और अकादमिक परिषद और कार्यकारी परिषद के समक्ष रखी जायेगी और यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक वर्ष में अद्यतन की जायेगी ।

(२) उच्चतर शिक्षण के नविन महाविद्यालय या संस्था खोलने के लिए कोई आवेदन, जो ऐसी योजना के साथ पुष्टी नहीं करता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।

(३) उच्चतर शिक्षण के नविन महाविद्यालय या संस्था खोलने के इच्छुक प्रबंध मंडल, जिस वर्ष अनुज्ञा चाही गई है उस वर्ष के अक्तूबर के अंतिम दिन, विहित प्ररूप में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में आवेदन करेगा ।

(४) उपर्युक्त विहित समय सीमा के भीतर, प्राप्त ऐसे सभी आवेदनों की संवीक्षा, विश्वविद्यालय के योजना, मूल्यांकन और अनुरक्षण बोर्ड द्वारा की जायेगी और उस वर्ष के दिसंबर के अंतिम दिन या के पूर्व कार्यकारी परिषद के अनुमोदन से, राज्य सरकार को अग्रेषित किये जायेंगे जो ऐसे सुझावों सहित होंगे जिन्हें सुसंगत कारणों द्वारा सम्यक्तया, समर्थित किया जायेगा, जिन्हें कार्यकारी परिषद द्वारा समुचित समझा गया है ।

(५) विश्वविद्यालय द्वारा सुझाये गए आवेदनो में से, राज्य सरकार, ऐसी संस्थाओ को अनुज्ञा देगी जिसे वह अपने आत्यंतिक विवेकाधिकार में सही और उचित समझे, जिसमें सरकार के बजट स्त्रोतों के विषय में नविन संस्थाओ को खोलने की अनुज्ञा चाहनेवाले नविन संस्थाओं की उपयुक्तता और उच्चतर शिक्षण की संस्थाओं के स्थान पर भी विचार किया जाएगा ।

परंतु, तथापि, अपवादात्मक मामलों और लिखित में अभिलिखित कारणों से विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश न किये गये आवेदनों पर, राज्य सरकार मंजूरी दे सकेगी जो कि उच्चतर शिक्षण का नविन महाविद्यालय या संस्था खोलने के लिए गया है ।

परंतु, आगे यह कि, प्रत्येक अकादमिक वर्ष से राज्य सरकार से ऐसी अनुमति, वर्ष के ३० जून को या के पूर्व विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी जिसमें नविन महाविद्यालय खोलने की अनुमति होगी । तत्पश्चात्, अनुमति प्राप्त होने के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा केवल सुसंगत अकादमिक वर्ष के लिए ही दी जायेगी ।

(६) कोई भी आवेदन, उच्चतर शिक्षण के नविन महाविद्यालय या संस्था खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा सीधे ग्रहण नहीं किये जायेंगी ।

संबंद्धन की प्रक्रिया।

४९. (१) धारा ४८ के अधीन, राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद, उप-धारा (२) के अधीन विहित प्रक्रिया अपनाकर, नविन महाविद्यालय या संस्था की प्रथम बार संबंद्धन देने और महाविद्यालय या संस्था द्वारा अधिकथित शर्ते किस हद तक पूर्ण की गई, इस पर विचार करेगी । इस बारे में अकादमिक परिषद का निर्णय अंतिम होगा ।

(२) अकादमिक परिषद के संबंद्धन के लिए मंजूरी के लिए किये गए आवेदन पर विचार करने प्रयोजन के लिए उसके द्वारा गठित समिति द्वारा, जाँच करवायेगी ।

(३) अकादमिक परिषद, निश्चित करेगी कि,—

(क) सबंद्धन किया जाना मंजूर किया जायेगा या नामंजूर किया जायेगा ;

(ख) क्या सबंद्धन किया जाना संपूर्ण रुप से या अंशतः मंजूर किया जाये ;

(ग) विषय, अध्ययन के पाठ्यक्रम, सम्मिलित किये जानेवाले विद्यार्थियों की संख्या ;

(घ) शर्ते, यदि कोई हो, जो संबद्ध किया जाना या अनुदत्त करते समय अनुबद्ध की जाये ।

(४) रजिस्ट्रार, अकादमिक परिषद का निर्णय, उच्चतर शिक्षा निदेशक को उसकी एक प्रति सहित प्रबंध मंडल को संसूचित करेगा और यदि संबद्ध किये जाने का आवेदन—

(क) संबद्ध किए जाने के लिए अनुमोदित विषय और अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ख) भर्ती किये जानेवाले विद्यार्थियों की संख्या ;

(ग) वह शर्ते, यदि कोई हो, जिन्हें पूरा करने पर अनुमोदन स्वीकृत किया गया है ।

(५) धारा ४८ की उप-धारा (५) में उसके द्वितीय परंतुक को छोडकर, निर्दिष्ट प्रक्रिया **यथावश्यक परिवर्तन के साथ,** नविन पाठ्यक्रमों, अतिरिक्त सुविधाओं, नविन विषयो और अतिरिक्त विभागों को खोलने की मंजूरी से संबंधित है । विद्यमान महाविद्यालय और संस्थाओं में नविन विषय और अतिरिक्त विभाग शुरू करने की अनुमति की प्रक्रिया ऐसी होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विहित की जायेगी ।

(६) महाविद्यालय या संस्थाओंको विश्वविद्यालय द्वारा जब तक प्रथम सहबद्धता नहीं दी जाती तब तक किसी छात्र को महाविद्यालय या संस्था द्वारा प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

(७) उप-धारा (१) से (४) तक में निर्दिष्ट प्रक्रिया **यथावश्यक परिवर्तन** समेत समय-समय पर सहबद्धता जारी रखने पर विचार करने के लिए होगी ।

संस्थाओं के मान्यता की प्रक्रिया ।

५०. (१) संस्था का ऐसा प्रबंध-मंडल जो पाँच वर्षो से अनून अवधि के लिए अनुसंधान या विशेष अध्ययन, सक्रियतापूर्वक संचालित करता है तथा जो मान्यताप्राप्त करना चाहता है तो, निम्न विषयो के संबंध में पूरी जानकारी सहित आवेदन, विश्वविद्यालय के कुलसचिव को करेगा,

अर्थात् :—

(क) प्रबंध मंडल का गठन तथा कार्मिक ;

(ख) अध्ययन के ऐसे विषयों तथा पाठ्यक्रमों जिनके लिए मान्यता पाना चाहता है ;

(ग) ऐसी निवास व्यवस्था उपकरण तथा विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए उपबंध किया गया है ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन करने के लिए मान्यताप्राप्त या के प्रयोजन के लिए मान्य किए जाने योग्य संस्था के स्थायी, अभ्यागत, मानसेवी कर्मचारी, उनका अनुभव, संस्था में किए गये अनुसंधान कार्य का सबूत, प्रकाशनों, रिपोर्टो, दिनिबंध संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तकें ;

(ङ) उद्ग्रहित या उद्ग्रहण के लिए प्रस्तावित फीस तथा भवनों, उपकरणों तथा संस्था के अनुरक्षण तथा कार्य को सुचारू रुप से बनाये रखने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए ।

(२) ऐसे आवेदन पर विचार करने से पूर्व, विश्वविद्यालय का योजना और मूल्यांकन (मॉनीटरींग) बोर्ड ऐसी कोई अतिरिक्त जानकारी जिसे वह आवश्यक समझे मंगा रखेगी ।

(३) यदि महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय विकास बोर्ड आवेदन पर विचार करने का निर्णय लेता है तो वह, संबंधित विषय या क्षेत्र विशेष ज्ञान रखनेवाला सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, स्थानिय पूछताछ करने का निदेश दे सकेगा । ऐसे पूछताछ की रिपोर्ट पर विचार करने तथा ऐसी अतिरिक्त पूछताछ जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय विकास बोर्ड, विद्या परिषद को, आवेदन को पूर्णतः या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा ।

(४) अकादमिक परिषद, उक्त बोर्ड द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करने के बाद, उसे मंजूर या अस्वीकृत कर सकेगी। अकादमिक परिषद का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकर होगा ।

संबद्ध महाविद्यालय की स्थानीय प्रबंध या सलाहकार समिति ।

५१. (१) प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय या संस्था के लिए, पृथक स्थानीय प्रबंध समिति होगी, जो निम्न सदस्यों से गठित होगी :—

(क) अध्यक्ष या प्रबंध मंडल का अध्यक्ष या उसका नामित.....अध्यक्ष ;

(ख) प्रबंध मंडल का सचिव या उसका नामित व्यक्ति ;

(ग) प्रबंध मंडल द्वारा नामित, उस क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करनेवाले तीन स्थानीय सदस्य ;

(घ) महाविद्यालय या संस्था के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित तीन अध्यापक ;

(ङ) महाविद्यालय या संस्था के अध्यापनेतर कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित एक अध्यापनेतर कर्मचारी ;

(च) प्रबंध मंडल का एक प्रतिनिधि ;

(छ) प्रधानाचार्य सदस्य-सचिव।

(२) सरकार या स्थानिय प्राधिकरण द्वारा संचालित तथा अनुरक्षित महाविद्यालय या संस्था के लिए स्थानीय सलाहकार समिति में, निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी :—

(क) उच्चतर शिक्षा निदेशक या तकनीकी शिक्षा निदेशक या यथास्थिति समाजकल्याण निदेशक, जैसा कि महाविद्यालय या संस्था के स्वरूप से अपेक्षित किया जाए द्वारा पदाभिहित संयुक्त निदेशक या उपनिदेशक ;

(ख) तकनीकी शिक्षण निदेशक द्वारा नामित, विभिन्न क्षेत्रों या कार्यकलापों का प्रतिनिधित्व करनेवाले तीन व्यक्ति ;

(ग) महाविद्यालय या संस्था के अध्यापकों द्वारा निर्वाचित तीन अध्यापक ;

(घ) महाविद्यालय या संस्था के अध्यापनेतर कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित एक अध्यापनेतर कर्मचारी ;

(ङ) प्रधानाचार्य.....सदस्य-सचिव ।

(३) स्थानीय प्रबंध या सलाहकार समिति वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठक करेगी।

(४) निर्वाचित या नामित सदस्य की अवधि पाँच वर्षों की होगी, यदि, कार्यालय में ऐसे सदस्य की रिक्ति पाई जाए, तो वह रिक्ति तीन महिने के भीतर दाखिल कि जाए और जिस सदस्य की नियुक्ति की जाए वह अवशिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए पूर्व सदस्य ने पद धारण किया हो, यदि रिक्ति ना हो ;

(५) स्थानिय प्रबंध या सलाहकार समिति की शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे.....

(एक) बजट तथा वित्तिय विवरण तैयार करने ;

(दो) प्रबंध मंडल को अध्यापकीय या अन्य पदो सृजन का सुझाव देने ;

(तीन) अनुदेशों के कार्यक्रम निर्धारित करने तथा अतिरिक्त मूल्यांकन तथा महाविद्यालय में अध्ययन के विकास पर विचार विमर्श करने ;

(चार) महाविद्यालय में अध्यापन का स्तर बढाने के लिए प्रबंध मंडल को सुझाव देने ;

(पाँच) महाविद्यालय के बजट में जिनका उपबंध नहीं है ऐसे नये व्यय के प्रस्ताव तैयार करने ;

(छः) विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने की क्षमता, समय-सारणी तैयार करने, उपलब्ध अध्यापन कार्य-भार का वितरण तथा महाविद्यालय के आंतरिक प्रबंध से संबंधित ऐसे अन्य मामलो तथा महाविद्यालय के समय-समय पर प्रधानाचार्य द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जाए ऐसे विद्यार्थियों के अनुशासन से संबंधित ऐसे अन्य मामलों में प्रधानाचार्य को सलाह देने की ;

(सात) निरिक्षण रिपोर्ट, यदि कोई हो पर, विचार करने तथा सुझाव देने की ;

(आठ) स्थानीय पूछताछ समिति की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने तथा सिफारिश करने की ;

(नौ) ३० जून को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए समिति द्वारा किये गए कार्य की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने तथा उसे प्रबंध मंडल, विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद तथा संबंधित निर्देशक को प्रस्तुत करने की ;

(दस) प्रबंध मंडल तथा विश्वविद्यालय द्वारा सौपे गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने की शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे ।

संबध्दता या मान्यता का जारी रहना ।

५२. संबंधित महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था ऐसे संबंधता या मान्यता के अवसान के दिनांक से आमतौर से छ माह पूर्व, अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रमों को जिसके लिए संबद्धता या मान्यता प्रदान की गई है, जारी रखने के लिए आवेदन कर सकेंगे । विश्वविद्यालय संबंधता के लिए सातत्य प्रदान के लिए, जहाँ तक लागू हो, परिनियमन से विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

संबध्दता या मान्यता का विस्तार ।

५३. संबद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था, अध्ययन के अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए, संबद्धता या मान्यता के लिए, आवेदन कर सकेंगे । विश्वविद्यालय, जहाँ तक लागू हो, धारा ४८ में, यथाविहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

स्थायी संबध्दता और मान्यता ।

५४. कम-से-कम छ वर्षो तक संबद्ध या मान्यताप्राप्त संस्था के रुप में अवस्थित, संबंद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था स्थायी संबद्धता या मान्यता के लिए आवेदन कर सकेगी । विश्वविद्यालय योजना और मूल्यांकन (मॉनिटरींग) बोर्ड, आवेदन पर विचार तथा संवीक्षा करेगा तथा अकादमिक परिषद के पास सिफारिश करेगा यदि विद्या परिषद संतुष्ट होती है कि संबद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था ने, संबद्धता या मान्यता के समस्त निर्बंधनो को संतोषपदरित्या पूर्ण किया है तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित शैक्षणिक तथा प्रशासनिक उच्च स्तर प्राप्त किया है तो महाविद्यालय या संस्था स्थायी संबद्धता या मान्यता प्रदान करेगी ।

स्वायत्त विश्वविद्यालय विभाग या संस्था महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था ।

५५. (१) विश्वविद्यालय विभाग या संस्था, संबद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था स्वायत्त, प्रास्थिति प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन कर सकेगी । प्रबंध परिषद, अकादमिक परिषद की सिफारिश पर, स्वायत्त प्रास्थिति प्रदत्त कर सकेगी ।

(२) स्वायत्त विश्वविद्यालय विभाग या संस्था, महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था अपने प्राधिकरणों या निकायों को गठित तथा शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन यथा तथा विहित विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक, वित्तीय तथा अन्य क्रियाकलापों को कार्यान्वित कर सकेगी ।

(३) स्वायत्त विश्वविद्यालय विभाग या संस्था, महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था, अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम विहित कर सकेगी ; अध्यापन का अपना तरीका तैयार कर सकेगी तथा उसमें शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों की परीक्षायें ले सकेगी और अपनी उपाधियाँ या प्रमाणपत्र दे सकेगी । स्वायत्त विश्वविद्यालय विभाग या संस्था या महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की ओर से शैक्षिक स्वतंत्रता तथा समालोचनात्मक छात्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देशों का निर्वहन करेगी जो कि, छात्रवृत्ति तथा उत्कर्ष के कामकाज में सहायक बौद्धिक वातावरण के संवर्धन तथा विकास के लिए आवश्यक है ।

महाविद्यालय तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण तथा रिपोर्ट।

५६. (१) प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय तथा मान्यताप्राप्त संस्था, ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ तथा अन्य जानकारियाँ प्रस्तुत करेगी जिसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था के शैक्षणिक स्तरों तथा शैक्षणिक प्रशासन स्तरों का निर्णय के लिए आवश्यक समझे ।

(२) कुलपति, उस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त ऐसी एक या अधिक समितियों से, कम-से-कम तीन वर्षों में एक बार प्रत्येक विश्वविद्यालय विभाग या संस्था संबध्द महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था का निरीक्षण करायेगा, जिसमें, निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के योजना, और मूल्यांकन (मानीटरींग) बोर्ड के सदस्य तथा कुलपति–अध्यक्ष द्वारा नामित निदेशक ;

(ख) अकादमिक परिषद द्वारा नामित दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हो ;

(ग) कार्यकारी परिषद द्वारा नामित एक विशेषज्ञ ;

परंतु, ऐसी समिति का कोई भी सदस्य, संबंधित महाविद्यालय या संस्था से संसक्त नही होगा ।

(३) समिति अपनी रिपोर्ट कुलपति के पास उसके विचारार्थ और आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए सौंपेगी ।

संबध्दता या मान्यता का प्रत्याहरण ।

५७. (१) यदि संबद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था, धारा ४७ में यथा उपबंधित संबद्धता या मान्यता के निर्बंधनो का अनुपालन करने या धारा ५१ में यथा उपबंधित कार्य उचित रूप से करने या इस अधिनियम के अधीन जारी निदेशों के अनुसार, कार्यवाही करने के लिए या स्थानीय प्रबंध या सलाहकार समिति को अनुमति देने या इस अधिनियम के अधीन जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने में चूक करती है, या यदि वह विश्वविद्यालय के हित या उसके द्वारा अधिकथित स्तरों के प्रतिकुल यदि महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था चलाती है तब महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय विकास बोर्ड, योजना व मूल्यांकन, प्रबंध मंडल को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा कि संबद्धता या मान्यताद्वारा, महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था को प्रदत्त विशेषाधिकारों का, भाग में या संपूर्णता प्रत्याहरण या को उपांतरित क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(२) विश्वविद्यालय के योजना, और मूल्यांकन (मॉनिटरींग) बोर्ड, ऐसे आधारों का उल्लेख करेगा जिसपर उपरोल्लिखित कार्यवाही करना प्रस्तावित है तथा नोटिस की एक प्रति, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या मान्यताप्राप्त संस्था के प्रमुख को प्रेषित करेगा। नोटिस में ऐसी अवधि जो तीस दिनों की अवधि से कम नहीं होगी भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर, प्रबंध-मंडल को नोटिस के जवाब में अपना लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहिए ।

(३) उप-धारा (१) के अधीन ऐसा लिखित वक्तव्य प्राप्त होने पर, या जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर, ऐसा विश्वविद्यालय के योजना, और मूल्यांकन (मॉनिटरींग) बोर्ड के विद्या परिषद के समक्ष, ऐसे विशेषाधिकारों के प्रत्याहरण या उपांतरण का प्रस्ताव सहित या के बिना सूचना या लिखित वक्तव्य, यदि कोई हो, रखेगा।

(४) अकादमिक परिषद, महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को हितों के ध्यान में रखकर, इस निमित्त की जानेवाली कार्यवाही की सिफारिश कुलपति से करेगी और तत्पश्चात्, कुलपति सिफारिशों को कार्यान्वित करने की पहल करेगा ।

महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था को बंद करना ।

५८. (१) महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था के किसी भी प्रबंध-मंडल को, राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बगैर, महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था बंद करने का अनुमति नहीं होगी ।

(२) महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था को बंद करने का इच्छुक करनेवाले प्रबंध-मंडल, पूर्ववर्ती वर्ष के १ अगस्त को या उसके पूर्व, पूर्ण बंद करने के कारण, तथा भवनों तथा उपस्कर के रुप में, संपदा बताते हुए, उनकी मूल किमत, विद्यमान बाजारमूल्य तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार या लोक निधि अधिकरणों से अब तक उसके द्वारा प्राप्त अनुदानों का विवरण देते हुए, विश्वविद्यालय के पास आवेदन करेगा ।

(३) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, अकादमिक परिषद, जैसा वह उचित समझे ऐसी पूछताछ कराएगी तथा महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था को बंद करने की अनुमति दी जाए अथवा नहीं इसका निर्धारण, अवधारण करेगी । अकादमिक परिषद ऐसी जाँच कर सकेगी कि, आवश्यक सहायता प्रदान करने या विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने या अन्य प्रबंध-मंडल को अन्तरण द्वारा महाविद्यालय या संस्था के बंद को टाला जा सकेगा अथवा नहीं ।

(४) यदि अकादमिक परिषद बंद करने की शिफारस करने का निर्णय लेती है तो वह, क्षतिपूर्ति या प्रतिफल की मात्रा, प्रबंध-मंडल से वसूल की जानेवाली तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार या अन्य लोक निधि अधिकरणों द्वारा मुहैया निधियों का उपयोग कर की गई सृजित परिसंपत्ति विश्वविद्यालय या अन्य प्रबंध-मंडल को हस्तांतरित की जाए या न जाए तथा शिक्षकों या कर्मचारियों को प्रतिफल की अदायगी घटाने के बारे में रिपोर्ट प्रबंध परिषद को सौंपेगी ।

(५) अकादमिक परिषद, प्रबंध परिषद की सहमति तथा राज्य सरकार के अनुमोदन से, सहबद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था को बंद करने की अनुमति दी जाए अथवा नहीं इसका निर्णय लेगी ।

(६) यदि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था को लेने या उसे अन्य प्रबंध-मंडल को अंतरित करने का निर्णय लेती है तो, अनुसरण की प्रक्रिया इस निमित्त विहित होगी ।

(७) बंद को हिस्सों में पूरा करने की प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था में पहले ही प्रवेश दिये गए विद्यार्थी प्रभावित नहीं हुए है तथा यह कि प्रथम वर्ष की पहले बंद किया जाएगा तथा कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा । हिस्सों में बंद करने की प्रक्रिया जैसा कि विहित किया गया है, होगी ।

(८) महाविद्यालयों, या मान्यताप्राप्त संस्थाओं को बंद करने कि प्रक्रिया उप-धारा (१) से (७) से संबंधित **यथावश्यक परिवर्तन सहित** संकायों तथा विषयों को बंद करने का आवेदन कर सकती है ।

अध्याय ९

स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर शिक्षा तथा विस्तारी शिक्षा का संगठन ।

विश्वविद्यालय के विद्यालय ।

५९. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कॅम्पस के भीतर, निम्न में से सभी या किन्हीं विद्यालयों तथा ऐसी अन्य संस्थाओं तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगा जैसा कि, वह उचित समझे :—

(एक) इंजीनिअरिंग तथा प्रौद्योगिकी विद्यालय ;

(दो) स्वास्थ्य विज्ञानों के विद्यालय ;

(तीन) प्रबंधन अध्ययन के विद्यालय ;

(चार) अनुप्रायोगिक सामाजिक विज्ञानों के विद्यालय ;

(पाँच) समुद्री विज्ञानों के विद्यालय ;

(छ) भू विज्ञानों के विद्यालय ।

(२) विश्वविद्यालय, यथावश्यक, उसके अकादमिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त संस्थाएँ संस्थित करेगा ।

(३) विश्वविद्यालय, आवश्यकता के अनुसार, अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर सकेगी या अपने नियंत्रणाधीन किसी प्रशिक्षण संस्था या वर्गों को स्थायी रुप से बंद कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे । विश्वविद्यालय निवेश के बाहर विश्वविद्यालय के ऐसी संस्थाओं में या विश्वविद्यालय क्षेत्रों के किसी भाग में अन्य स्थानों पर, जैसा कि विश्वविद्यालय विनिश्चित करें, संचालित कर सकेगा ।

(४) विश्वविद्यालय, स्नातकपूर्व के साथ ही स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए उपबंध करेगा तथा शिक्षा तथा अनुसंधान में मितव्ययता तथा कार्यदक्षता को सुनिश्चित करेगा ।

(५) स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान, यथासंभव सिर्फ विश्वविद्यालय के विद्यालयों में ही संचालित किया जायेगा ।

विश्वविद्यालय का अकादमिक कर्मचारीवृंद ।

६०. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग का प्रत्येक सदस्य, उसे तत्समय शिक्षा, अनुसंधान या विस्तारी शिक्षा, विस्तारी सेवा या प्रौद्योगिकी का अंतरण के कर्तव्यों के बावजूद, विश्वविद्यालय में उसकी अर्हताएँ तथा, यथास्थिति, आचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक का श्रेणी या अन्य कोई विहित का श्रेणी धारण करेगा ।

अध्यापन कार्यक्रम ।

६१. विश्वविद्यालय की मान्यताप्राप्त संस्थाएँ क्रमशः अध्यापन तथा संगठन का सामान्य ढाँचा लागू करेगी जैसा कि विश्वविद्यालय समय-समय पर निदेश दे ।

विस्तारी शिक्षा कार्यक्रम ।

६२. विश्वविद्यालय, विस्तारी शिक्षा सेवा स्थापित करेगा तथा इस अधिनियम, परिनियमों तथा आर्डिनेन्सों के अध्यधीन, ग्रामीण इलाकों में लोगों को उन्हें अपनी समस्याएँ हल करने में सहायता देने के लिए अनुसंधान के निष्कर्षों पर आधारित उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराएगा । वह प्रादेशिक विस्तारी शिक्षा केंद्रों तथा विस्तारी सेवा इकाईयों की स्थापना करके, छात्रों, विस्तारी कर्मकारों तथा अन्य ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए प्रदर्शन तथा शिक्षा कार्यक्रम चलाएगी ।

अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तारी शिक्षा और पाठचर्या तथा सेवाओं में समन्वयन।

६३. (१) कुलपति, विश्वविद्यालय के समुचित पदाधिकारियों के परामर्श से ऐसे कदम उठाने के लिए उत्तरदायी होगा जो विश्वविद्यालय में अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तारी शिक्षा की गतिविधियों में पूर्ण समन्वयन के लिए आवश्यक होंगे ।

(२) कुलपति, समुचित पदाधिकारियों तथा कर्मचारी वर्ग के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि ऐसी स्थितियाँ स्थापित की गई हैं जिसके जरिए प्रौद्योगिकी से संबंधित समाज विज्ञानों के प्राकृतिक भौतिक तथा संगत पहलुओं में नवीन जानकारी तथा प्रौद्योगिकी के विकास पर अधिकतम संभाव्य प्रगति हुई है तथा शिक्षा की पाठ्यचर्या तथा शैक्षणिक कार्यक्रम, जो वे समझ सकते हैं या उसे अंगीकार कर सकते है, जो विश्वविद्यालय के क्षेत्र में जहाँ व्यवहार में लागू होते हैं, के कार्य के लिए उत्तरदायी होगा ।

(३) कुलपति, समुचित पदाधिकारियों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारी वर्ग के द्वारा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि, बोर्डों के बीच अनावश्यक रित्या दोबारा कृत्य करने से बचने के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन बोर्डों द्वारा प्रस्थापित विभिन्न पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में समुचित आंतरिक संबंध हैं।

(४) विश्वविद्यालय, साधारणतः राज्य की जरुरतों को तथा विशेषतः पिछड़े क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कार्यों की प्रस्तावना, अनुसंधान, विस्तारी शिक्षा, विस्तार सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी के अंतरण के अपने कार्यक्रम का विकास करेगा तथा राज्य सरकार को समुचित परामर्शक सलाह देगा ।

अध्याय दस

नामांकन तथा उपाधियाँ

विद्यार्थियों का नामांकन।

६४. विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रुप में नामांकित किए जानेवाले विद्यार्थी के पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ होनी चाहिए जैसा कि, विनियमों द्वारा अधिकथित की जाए ।

विद्यार्थियों के नामांकन के लिए न्यूनतम आवश्यक अर्हताएँ ।

६५. धारा ६४ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रुप में उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित किए जानेवाले विद्यार्थी को,–

(एक) महाराष्ट्र माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, १९६५ के अधीन स्थापित प्रभागीय बोर्ड द्वारा ली जानेवाली उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ; सन् १९६५ का ४१।

(दो) प्रवेश परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण करनी होगी जो राज्य सरकार की सहमति से विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित की जाए तथा ऐसे विषयों के लिए और ऐसी रीत्या ली जाए जैसा कि विहित किया जाए ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा ली गई परीक्षा के समतुल्य विहित की गई अन्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ; या

(चार) ऐसी अन्य अर्हताएँ धारण करनी होगी जैसा कि विहित किया जाये।

सम्मानिक उपाधि।

६६. कार्यकारी परिषद किसी व्यक्ति को, उससे कोई परीक्षण या परीक्षा देने की अपेक्षा किए बिना, केवल इस आधार पर कि वह अपने विशिष्ट स्थान, उपलब्धियाँ तथा लोकसेवा के कारण ऐसी उपाधि या अन्य अकादमिक उपाधि प्राप्त करने के लिए योग्य तथा उचित व्यक्ति है, सम्मानिक उपाधि या अन्य अकादमिक उपाधि प्रदत्त करने का विचार तथा विनिश्चय कर सकेगी तथा ऐसी सिफारिश, कार्यकारी परिषद की बैठक में उपस्थित सदस्यों, जिनकी संख्या उसकी सदस्यता के आधे से कम न हों, के दो-तिहाई से अनून बहुसंख्य सदस्यों द्वारा समर्थन करने पर सम्यक्तया पारित समझी जायेगी :

परंतु, कुलपति के कुलाधिपति का पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना, कार्यकारी परिषद इस निमित्त किए गये किसी प्रस्ताव को ग्रहण नहीं करेगी या उस पर विचार नहीं करेगी ।

कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर स्नातकों के नाम रजिस्टर में से हटाना ।

६७. (१) कुलाधिपति, कार्यकारी परिषद की शिफारिश पर जिसका कार्यकारी परिषद की बैठक में उपस्थित बहुसंख्य सदस्यों के दो-तिहाई से अनून सदस्यों द्वारा, ऐसे बहुसंख्य सदस्य कार्यकारी परिषद के कुल सदस्यों के आधे सदस्य होंगे, समर्थन किया गया हो, किसी व्यक्ति का नाम स्नातक रजिस्टर में से ऐसी अवधि तक के लिए हटा सकेगा जैसा कुलाधिपति उचित समझे, यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए जो कार्यकारी परिषद की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त करनेवाले गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोषी ठहराया गया है ।

(२) इस धारा के अधीन तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक संबंधित व्यक्ति को अपने बचाव के लिए सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ।

अध्याय ११

समितियाँ

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के चयन तथा नियुक्ति के लिए समिति ।

६८. (१) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के चयन तथा नियुक्ति के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा जो मान्यताप्राप्त है, से भिन्न उसके निमित्त अनुदेश प्रदान करने के लिए, इस और आगामी अनुवर्ती चयन के अनुसार होगा।

(२) (क) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कार्यकारी परिषद से सिफारिश करने के लिए एक चयन समिति होगी ।

(ख) प्रत्येक चयन समिति निम्न से, मिलकर बनेगी :–

(एक) कुलपति, पदेन अध्यक्ष ;

(दो) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति :

(तीन) दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का तथा दूसरा तकनीकी शिक्षा निदेशक का होगा ;

(चार) विश्वविद्यालय का संबंधित विभाग प्रमुख, यदि वह आचार्य है ;

(पाँच) विद्यापरिषद द्वारा अनुशंसित छः व्यक्तियों की नामों की सूची में से कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्देशित तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय, से संबंधित न हों, जिन्हें उस विषय की विशेष जानकारी हो जिसके लिए शिक्षक का चुनाव करना है ; और

(छ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के बीच एक व्यक्ति जो शिक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं ।

(३) रजिस्ट्रार समिति के सचिव के रुप में कार्य करेगा।

(४) (क) विश्वविद्यालय के शिक्षक का प्रत्येक पद, चयन द्वारा भरा जाएगा, जिसके लिए कार्यकारी परिषद द्वारा अपेक्षित न्यूनतम तथा अन्य अतिरिक्त अर्हताएँ, यदि कोई हों, परिश्रमिक तथा भरे जानेवाले पद की संख्या, भरे जानेवाले कुल पदों में से ऐसे पदों कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये गये हो, यदि कोई हों, की संख्या की विशिष्टियाँ देते हुए अनुमोदित प्रारुप के अनुसार सम्यकतया तथा व्यापक रुप से विज्ञापन दिया जायेगा तथा इसके लिए इतना पर्याप्त समय दिया जाएगा जिसमें आवेदक विज्ञापन के उत्तर में अपना आवेदन भेज सकें ।

(ख) प्रत्येक चयन समिति की बैठक का दिनांक, इस प्रकार नियत किया जाएगा ताकि उसकी सूचना प्रत्येक सदस्य तथा अभ्यर्थी को कम से कम तीस दिन पहले दि जाएगी तथा प्रत्येक सदस्य के पास इस प्रकार भेजी गयी प्रत्येक अभ्यर्थी की विशिष्टियाँ, बैठक के दिनांक से कम से कम सात दिन पूर्व पहुँच सके ।

(ग) प्रत्येक चयन समिति बैठक की गणपूर्ति चार सदस्यों से की जाएगी जिनमें से दो सदस्य उप-धारा (२) के खंड (ख) के उप-खंड (पाँच) के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे।

(घ) चयन समिति, प्रत्येक अभ्यर्थी का साक्षात्कार लेगी तथा विज्ञापित अर्हताओं के अनुसार उनके गुणागुण का निर्णय करेगी तथा उन व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम, जिनकी यथा विज्ञापित सामान्य पद तथा आरक्षित पद यदि कोई हो, पर नियुक्ति के लिए वह सिफारिश करे, गुणागुण-क्रम में लगाकर कार्यकारी परिषद को रिपोर्ट देगी :

परंतु, आचार्य पद के लिए चयन समिति ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया है तथा उसके समक्ष उपस्थित हुए हैं पर अधिमान देकर ऐसे अन्य व्यक्ति की सिफारिश कर सकेगी जिसने आवेदन नहीं किया है या उसके समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है तथा जो सम्यकतया अर्हता प्राप्त है ।

(ङ) कार्यकारी परिषद, इस प्रकार अनुशंसित व्यक्तियों में से यथा विज्ञापित सामान्य पदों तथा आरक्षित पदों को, यदि कोई हों, भरने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करेगी :

परंतु, जहाँ कार्यकारी परिषद, चयन समिति द्वारा गुणागुण-क्रम से बनाई गई सूची के अनुसार से अन्य किसी नियुक्ति का प्रस्ताव करती है तो उसे लिखित में कारण अभिलिखित करना होगा तथा उसे कुलाधिपति को देना होगा, जो उस प्रस्ताव को या तो अनुमोदित कर सकेगा या उस पर विचार करने के लिए कार्यकारी परिषद के पास वापस भेज सकेगा । पुनर्विचार के बाद, यदि कार्यकारी परिषद अपने मूल प्रस्ताव को जारी रखने की इच्छुक है तो वह उसे उस मामले को पुनः कुलाधिपति के पास उसके निर्णय के लिए भेजेगी जो कि अंतिम होगी :

परंतु आगे कि, जहाँ चयन समिति केवल एक व्यक्ति के नाम की ही सिफारिश कार्यकारी परिषद से करती है तथा वह व्यक्ति कार्यकारी परिषद को प्रतिग्राह्य नहीं होता वहाँ कार्यकारी परिषद सिफारिश को स्वीकार न करने के लिखित कारण अभिलिखित करेगी तथा उस रिक्ति का फिर विज्ञापन देने के लिए रजिस्ट्रार को निदेश देगी तथा नयी अनुशंसा के लिए चयन समिति की बैठक बुलायेगी तथा ऐसा करते समय चयन समिति के प्रत्येक सदस्य को यथा उपर्युक्त अभिलिखित कारण संसूचित करेगी ।

(५) यदि, प्रत्यक्षतः प्रभावित किसी व्यक्ति की याचिका पर या स्वप्रेरणा से, कुलाधिपति को ऐसी जाँच करने या करवाने पर या ऐसा स्पष्टीकरण प्राप्त करने पर या प्राप्त करने के बाद, जैसा कि आवश्यक हो या हो सके समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के लागू होने पर या के बाद किसी भी समय विश्वविद्यालय " के किसी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा की गई " विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति तत्समय प्रवर्तमान विधि के अनुसार नहीं है तो कुलाधिपति, ऐसे अध्यापक की सेवा की शर्तों से संबंधित संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति को उसे एक महिने की सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले एक महिने का वेतन देने के बाद उसकी नियुक्ति समाप्त करने के आदेश दे सकेगा तथा कुलपति उसका तत्काल पालन करेगा तथा नये चुनाव कराने के लिए कार्यवाही करेगा । ऐसा व्यक्ति जिसकी नियुक्ति इस प्रकार समाप्त कर दी गई है उसी पद के लिए दुबारा आवेदन करने के लिए/करने हकदार होगा ।

(६) उप-धारा (५) के अधीन कुलाधिपति द्वारा बनाया गया कोई भी आदेश, अंतिम होगा तथा उस आदेश की एक प्रति कुलपति द्वारा उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन दिन के भीतर, संबंधित अध्यापक को भेजी जाएगी।

(७) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि, किसी व्यक्ति को उसकी सेवा की समाप्ति के बाद किसी अवधि के लिए विश्वविद्यालय निधियों में से वेतन भत्ते के रुप में किसी प्रकार की कोई अदायगी नहीं की जाएगी तथा ऐसी किसी भी अदायगी को प्राधिकृत करनेवाला कोई भी प्राधिकारी या अधिकारी इस प्रकार अदा की गई रकम की विश्वविद्यालय को प्रतिपूर्ति करने का दायी होगा।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अस्थायी रिक्तियाँ भरना।

६९. जहाँ विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अस्थायी रिक्ति को भरने के लिए कोई नियुक्ति करनी हो तो ऐसी नियुक्ति यदि रिक्त एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक के लिए है तो धारा ६८ के उपबंधों के अनुसार चयन समिति की सिफारिश से की जायेगी :

परंतु, यदि कुलपति का समाधान हो जाता है कि, शिक्षा के हित में उस रिक्ति को तुरंत भरना आवश्यक है तो वह निम्न रित्या गठित स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर उस पद पर सम्यकतया अर्हताप्राप्त व्यक्ति की एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्ति कर सकेगा तथा ऐसी नियुक्ति की सूचना कार्यकारी परिषद को देगा :—

(क) कुलपति, पदेन अध्यक्ष ;

(ख) संबंधित विद्यालय के प्रमुख ;

(ग) संबंधित विभाग के प्रमुख ; और

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति ईसके अलावा जहाँ विभाग का प्रमुख ही विद्यालय का प्रमुख हो, कुलपति एक व्यक्ति के बदले दो व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करेगा :

परंतु, आगे यह कि, छ महिने अवसित होने से पूर्व, कुलपति को धारा ६८ के उपबंधो के अनुसार नियुक्ति करने के लिए चयन समिती की बैठक बुलाने के लिए कार्यवाही करनी होगी ।

निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन समिति ।

७०. नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए गठित चयन समिति जो निम्न से मिलकर बनेगी की सिफारिश के बिना कोई व्यक्ति निदेशक की नियुक्ति नहीं करेगा :—

(क) कुलपति, पदेन अध्यक्ष ;

(ख) कार्यकारी परिषद पर कुलाधिपति के नामनिर्देशिती ; और

(ग) अपने सदस्यों में से कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं ।

रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए चयन समिति ।

७१. कोई भी व्यक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश को छोड़कर रजिस्ट्रार के रुप में नियुक्त नहीं होगा तथा वह समिति निम्न से मिलकर बनेगी–

(क) कुलपति, पदेन अध्यक्ष;

(ख) कार्यकारी परिषद पर कुलाधिपति के नामनिर्देशिती ; और

(ग) अपने सदस्यों में से कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं ।

संयुक्त निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन समिति।

७२. कोई भी व्यक्ति, इस प्रयोजनों के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश को छोड़कर संयुक्त निदेशक के रुप में नियुक्त नहीं होगा तथा वह समिति निम्न से मिलकर बनेगी–

(क) कुलपति, पदेन अध्यक्ष ;

(ख) कार्यकारी परिषद पर कुलाधिपति के नामनिर्देशिती ; और

(ग) अपने सदस्यों में से कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं ।

उप-निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन समिति ।

७३. कोई भी व्यक्ति, इस प्रयोजनों के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश को छोड़कर उप-निदेशक के रुप में नियुक्त नहीं होगा तथा वह समिति निम्न से मिलकर बनेगी–

(क) कुलपति, पदेन अध्यक्ष ;

(ख) अपने सदस्यों में से कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं ।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों को मान्यता देने के लिए समिति ।

७४. (१) किसी भी व्यक्ति को मान्यता देने के प्रयोजन से गठित तथा निम्न से मिलकर बनी समिति की सिफारिश के बिना विश्वविद्यालय के अध्यापक के रुप में मान्यता नहीं दी जाएगी–

(क) कुलपति, पदेन अध्यक्ष ;

(ख) संबंधित संकायाध्यक्ष ;

(ग) विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग का प्रमुख ; और

(घ) जिस विषय के लिए अध्यापक को मान्यता देनी है, उसमें विशेष जानकारी रखनेवाले चार व्यक्ति, जिनमें से दो व्यक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यापकों से अन्य व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किये जाएँगे तथा दो व्यक्ति विद्या परिषद द्वारा अपने सदस्य में से नामनिर्दिष्ट किए जाएँगे ।

(२) कार्यकारी परिषद, समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अध्यादेशों द्वारा विनियमित रीत्या ऐसे अध्यापकों को मान्यता अनुदत्त कर सकेगी या प्रत्याहृत कर सकेगी ।

विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संबंद्ध महाविद्यालय या संस्था के प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति ।

७५. (१) कोई भी व्यक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश को छोड़कर विश्वविद्यालय द्वारा पोषित चलाया जानेवाला महाविद्यालय या संस्था के प्रधानाचार्य के रुप में नियुक्त नहीं होगा तथा वह समिति निम्न से मिलकर बनेगी :–

(क) कुलपति, **पदेन** अध्यक्ष ; तथा

(ख) ऐसे विषय या विषयों, की शिक्षा महाविद्यालय या संस्था में दी जाती है की विशेष जानकारी रखने वाले तीन व्यक्ति, जिनमें से दो व्यक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा तथा एक व्यक्ति अकादमिक परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है।

(२) ऐसे प्रधानाचार्य के चयन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि धारा ६८ द्वारा विहित किया गया है।

वित्त अधिकारी की नियुक्ति के लिए चयन समिति ।

७६. (१) कोई भी व्यक्ति, इस प्रयोजनों के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश को छोड़कर नामनिर्देशन द्वारा वित्त अधिकारी के रुप में नियुक्त नहीं होगा तथा वह समिति निम्न से मिलकर बनेगी–

(क) कुलपति, पदेन अध्यक्ष ;

(ख) लेखा तथा कोषागार निदेशक, महाराष्ट्र राज्य या उसका नामनिर्देशिती जो लेखा तथा कोषागार उप-निदेशक के पद से निम्न का न हो ;

(ग) कार्यकारी परिषद पर कुलाधिपति का नामनिर्देशिती ;

(घ) कार्यकारी परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ; तथा

(ङ) रजिस्ट्रार, पदेन सचिव।

(२) चयन समिति की बैठक में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चयन समिति ।

७७. (१) कोई भी व्यक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश को छोड़कर पुस्तकालयाध्यक्ष के रुप में नियुक्त नहीं होगा तथा वह समिति निम्न से मिलकर बनेगी –

(एक) कुलपति, पदेन अध्यक्ष ; तथा

(दो) पुस्तकालय विज्ञान तथा पुस्तकालय प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्देशित किये जाएँगे।

(२) पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए अर्हताएँ तथा चयन समिति की बैठक में की जानेवाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

पुस्तकालय समिति ।

७८. विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का प्रशासन, गठन तथा रखरखाव करने के लिए एक पुस्तकालय समिति होगी, जो निम्न से मिलकर बनेगी :–

(क) कुलपति, पदेन अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित तीन संकाय प्रमुख ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय विभाग के तीन प्रमुख ;

(घ) कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्देशित दो अध्यापक ;

(ङ) रजिस्ट्रार; तथा

(च) पुस्तकालयाध्यक्ष, पदेन सचिव।

(२) पदेन सदस्यों से अन्य, समिति के सभी सदस्य, तीन वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेंगे ।

(३) समिति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य और उसकी बैठक की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए।

संविदा के अधीन कतिपय नियुक्तियाँ ।

७९. (१) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा शैक्षणिक कर्मचारी सदस्य लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जाएँगे। संविदा रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएगी तथा उसकी एक प्रत संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी :

परंतु, कुलपति की सेवा की संविदा कुलाधिपति के पास दाखिल की जाएगी जिसका सचिव उसकी ओर से ऐसी संविदा कुलाधिपति को निष्पादन करेगा।

(२) ऐसा कोई भी कर्मचारी, विश्वविद्यालय में या उसके बाहर किसी कार्य के लिए परिनियमों में यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करेगा।

अन्य अकादमिक कर्मचारीवृंद, अधिकारी तथा कर्मचारियों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी ।

८०. कोई भी व्यक्ति, अन्य अकादमिक कर्मचारी वृन्द, अधिकारी तथा कर्मचारियों के सदस्य के रुप में, इस निमित्त बनाये गये परिनियमों के उपबंधो के अनुसार, नियुक्ति के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश के बिना, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

सदस्यता त्यागना तथा सदस्यता की समाप्ति।

८१. (१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का कोई सदस्य, कुलपति को संबोधित करके आवेदन द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। कुलपति द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लेने पर, ऐसे सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का कोई सदस्य, विधि न्यायालय द्वारा उसे ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है, दोषसिद्ध करने पर वह उसका सदस्य बनने से परिविरत हो जाएगा ।

आकस्मिक रिक्ति ।

८२. जब विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्य से अन्य सदस्य का पद ऐसे सदस्य की पदावधि अवसित होने से पूर्व, रिक्त होता है, तब ऐसी रिक्ति यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे सदस्य के नामनिर्देशन, नियुक्ति या, यथास्थिति, सहयोजन से भरी जाएगी जो उतने समय तक ही पद धारण करेगा, जितने समय तक वह सदस्य जिसकी जगह वह नामनिर्दिष्ट नियुक्त या सहयोजित किया गया है यदि रिक्ति न हुई होती, तो वह पद पर बना रहता।

केवल गठन या रिक्ति में त्रुटि के आधार पर कृत्य या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

८३. इस बात के होते हुये भी, विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण या निकाय या समिति का सम्यकतया गठन नहीं किया गया है या उसके गठन या पुनर्गठन में किसी भी समय त्रुटि होती है या ऐसे किसी प्राधिकरण या निकाय या समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति हुई है, ऐसे प्राधिकरण या निकाय या कोई कार्य या कार्यवाही उसमें कोई रिक्ति होने या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण या ऐसे किसी आधार या आधारों पर अविधिमान्य नहीं होगी।

निर्वचन संबंधी उत्पन्न प्रश्न और विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय आदि के गठन संबंधी विवाद।

८४. इस अधिनियम के किसी उपबंध या किसी परिनियम, आर्डिनन्स, विनियमन के निर्वचन के बारे में या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक्तया नामनिर्देशित, नियुक्त या सहयोजित किया गया है या वह सदस्य होने का हकदार है इस बारे में कोई प्रश्न उठता है तो यह मामला इससे प्रत्यक्ष प्रभावित किसी व्यक्ति या प्राधिकरण निकाय द्वारा याचिका दायर करने पर या कुलपति द्वारा स्वविवेक से कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो प्रभावित व्यक्ति या प्राधिकरण या निकाय को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद तथा ऐसा परामर्श लेने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, मामले का विनिश्चय करेगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा :

परंतु, ऐसा निर्देश कुलपति द्वारा कार्यकारी परिषद के पाँच सदस्यों से अनून सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर कुलाधिपति को किया जाएगा।

परीक्षकों की नियुक्ति के लिए समिति ।

८५. (१) विश्वविद्यालय परीक्षकों के रुप में नियुक्त करने के लिए, व्यक्तियों की सूची तैयार करने के प्रयोजन से, प्रत्येक विश्वविद्यालय के संकाय के लिए, प्रत्येक वर्ष एक समिति गठित की जाएगी तथा समिति निम्न से मिलकर बनेगी–

(क) कुलपति, पदेन अध्यक्ष ;

(ख) संबंधित विश्वविद्यालय के संकाय के प्रमुख ;

(ग) दो सदस्य, कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट ;

(घ) एक सदस्य, अकादमिक परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट ;

(ङ) एक सदस्य, योजना तथा मूल्यांकन (मानिटरिंग) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट ; और

(च) विशिष्ट विषय में पाठ्यबोर्ड का अध्यक्ष।

(२) समिति, पाठ्यबोर्ड द्वारा तैयार की गई पैनलों में सम्मिलित किये गए व्यक्तियों में से सूचियाँ तैयार करेगी तथा अनुमोदन के लिए उन्हें कार्यकारी परिषद को भेजेगी जो उसके बाद परीक्षकों की नियुक्ति करेगी :

परंतु, समिति लिखित में उसके कारण अभिलिखित करने के बाद ऐसी सूचियों में व्यक्तियों के नाम सम्मिलित कर सकेगी, यदि वे नाम पाठ्यबोर्ड द्वारा तैयार की गई पैनल में सम्मिलित नहीं किये गये हैं ;

परंतु, आगे यह कि, कार्यकारी परिषद द्वारा, जिस विशेष आधार पर प्रत्येक सुझाये गए या किए गए परिवर्तन आधारित है उसे बताते हुए प्रस्ताव पारित किये बिना सूचियों में कोई परिवर्तन करने का सुझाव नहीं दिया जाएगा या परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(३) यदि, किसी कारणवश कोई परीक्षक, परीक्षक का पद स्वीकार करने में असमर्थ रहता है तथा कार्यकारी परिषद द्वारा समय पर नवीन नियुक्ति नहीं की जाती है तो कुलपति अन्य परीक्षक की नियुक्ति करेगा तथा ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कार्यकारी परिषद को देगा।

(४) कार्यकारी परिषद या समिति का कोई सदस्य, कार्यकारी परिषद की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुसंख्य दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के बिना नियुक्त नहीं किया जाएगा।

अन्य समितियाँ।

८६. विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकरण को उसके कार्यक्षेत्र के भीतर किसी मामले का निपटान करने के लिए शिकायत समिति समेत समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति होगी तथा ऐसी समिति में स्वयं प्राधिकरण के सदस्यों से अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हों :

परंतु, पाठ्यबोर्ड तथा अन्य प्राधिकरण, कुलपति के पूर्वानुमोदन के बिना, ऐसी समितियों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करेगा जो समिति नियुक्त करनेवाले प्राधिकरण का सदस्य न हो ।

अध्याय बारह

वित्त

विश्वविद्यालय निधि ।

८७. (१) विश्वविद्यालय, निधि के नाम से एक विश्वविद्यालय निधि की स्थापना करेगा ।

(२) निम्न, विश्वविद्यालय का भाग होगा या उसमें अदा किया जाएगा,—

(क) राज्य सरकार या केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किये गए कोई अंशदान या अनुदान ;

(ख) फीस और प्रभारों तथा विक्रय के आय में, यदि कोई हो, के जरिए होनेवाली आय समेत समस्त स्त्रोतों से होनेवाली विश्वविद्यालय की आय ;

(ग) न्यास, आर्थिक सहायता, वसीयत, दान, विन्यास तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो, से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई समस्त आय या धन ; और

(घ) राज्य सरकार की अनुमति के साथ बँकों या किसी अन्य एजेंसी से उधार लिया गया कोई ऋण ।

(३) विश्वविद्यालय की निधि, कार्यकारी परिषद के विवेकाधिकार से, भारतीय स्टेट बैंक में या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ में यथा परिभाषित किसी भी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी, जो कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा २२ के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति धारण किये है ; या विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सहकारी बैंक में या भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में या, पाँच लाख रुपयों की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, भारतीय युनिट ट्रस्ट में या उसके शेयर में विनिहित की जाएगी या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए स्थापित उपभोक्ता सहकारी संस्था को या किसी मान्यता प्राप्त संस्था को ऋण देकर विनिहित की जाएगी ।

सन् १९३४ का २ ।
सन् १९४९ का १० ।
सन् १८८२ का २ ।

आकस्मिकता निधि ।

८८. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय लेखाओं में, एक अलग लेखा शीर्ष के अधीन आकस्मिकता निधि रखेगा, जिसमें ऐसी धनराशियाँ जमा की जाएगी, जिसे विशेषकर प्रयोजनार्थ, तकनीकी शिक्षा निदेशक के जरिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अंशदान या अनुदान के रूप में समय-समय पर अनुदत्त करे । ऐसा निधि, आरंभिक व्यय पूरा करने तथा तत्पश्चात् अनवेक्षित व्यय को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए अग्रिम देने के लिए उपयोग में लाया जाएगा ।

विशेष निधि तथा अवक्षयण निधि ।

८९. राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालय निधि का कोई भाग, विश्वविद्यालय लेखाओं में, एक अलग लेखा शीर्ष के अधीन विशेष निधि तथा अवक्षयण निधि के रुप में विश्वविद्यालय द्वारा तथा समय-समय पर जमा किया सकेगा :

परंतु, ऐसे विशेष निधि में सिर्फ ऐसी रकमें जमा की तथा निकाली जाएगी जो अभिव्यक्ततः उन उद्देश्यों से संबंध रखती हैं जिनके लिए ऐसी अलग निधि सृजित की गई है तथा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए या परिनियमों द्वारा उपबंधित उपस्करों के अवक्षयण के लिए की जाएगी ।

वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन।

९०. (१) (क) इस अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, विश्वविद्यालय की स्थापना की अवधि के दौरान, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय की प्राप्तियों तथा व्यय का वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करने का दिनांक तथा उसे तैयार करने की विश्वविद्यालय की रीति विनिर्दिष्ट करेगी ।

(ख) कार्यकारी परिषद, तैयार किए गए प्राक्कलन पर विचार करेगी तथा उन्हें उपांतरण सहित या उपांतरण के बगैर अनुमोदित करेगी तथा उन्हें राज्य सरकार को उसकी मंजूरी के लिए, ऐसे अनुमोदित प्राक्कलन प्रस्तुत करेगी ।

(ग) राज्य सरकार, ऐसे प्राक्कलनों पर जैसा वह उचित समझे ऐसे आदेश निर्देश सहित पारित कर सकेगी तथा उसे विश्वविद्यालय को संसूचित कर सकेगी जो ऐसे आदेशों को प्रभावित करेगी ।

(२) (क) विश्वविद्यालय का स्थिरीकरण पूर्ण होने की अवधि के पश्चात्, कुलपति, आगामी वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की प्राप्तियो तथा व्यय का वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन विहित की जाए ऐसे दिनांक को या के पूर्व, विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा तैयार करवाएगा तथा वित्त समिति के जरिए कार्यकारी परिषद को उसे प्रस्तुत करेगा ।

(ख) कार्यकारी परिषद, तैयार किए गए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन पर विचार करेगी तथा उसे किसी उपांतरण सहित या के बगैर अनुमोदित करेगी ।

वार्षिक लेखा तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

९१. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा, कुलपति के निदेशों के अधीन वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय को किसी भी स्त्रोतों से प्रोद्भूत हुआ धन या प्राप्त किया गया धन तथा विश्वविद्यालय द्वारा संवितरित तथा अदा की गई सभी राशियाँ, लेखों में प्रविष्ट की जाएगी ।

(२) वार्षिक लेखा तथा तुलन-पत्र, कुलपति द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे भारत के नियंत्रक महालेखा तथा परीक्षक के परामर्श से, उनके द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक से लेखा परीक्षा कराई जाएगी । लेखा की, जब लेखा परीक्षा की जाएगी तब उसे छपवाकर उसकी प्रतियाँ संपरीक्षा रिपोर्ट सहित कुलपति द्वारा कार्यकारी परिषद तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी ।

(३) कार्यकारी परिषद, संपरीक्षा रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के वक्तव्य सहित, लेखाओं की प्रति तथा संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष उन्हें रखेगी ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

९२. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट विहित की जाए ऐसे दिनांक को या के पूर्व, कार्यकारी परिषद के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी । कार्यकारी परिषद द्वारा यथा अनुमोदित रिपोर्ट, कुलपति द्वारा, कुलाधिपति तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी । राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष उसका रिपोर्ट रखेगी ।

अध्याय तेरह

विविध उपबंध

विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए मानक संहिता विहित करने की शक्ति ।

९३. इस अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, राज्य सरकार, एक समान मानकों को हासिल करने तथा बनाए रखने के लिए **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे तथा पोषित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों के वर्गीकरण, चुनाव तथा नियुक्ति का प्रकार तथा रीति तथा नियुक्ति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए पदों का आरक्षण, कर्तव्यों, कार्यभार, वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों, अन्य लाभों, आचरण तथा अनुशासन संबंधी मामलों तथा सेवा संबंधी अन्य शर्तों का उपबंध करने के लिए एक मानक संहिता विहित कर सकेगी । जब ऐसी संहिता विहित की जाती है तो, संहिता में बनाए गए उपबंध अभिभावी होंगे तथा संहिता में सम्मिलित मामलों के संबंध में परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा नियमों में बनाये गये उपबंध, जहाँ तक कि वे संहिता के उपबंधों के विरूद्ध हैं, शून्य होंगे ।

विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले के संबंध में पूछताछ करवाने की राज्य सरकार की शक्तियाँ ।

९४. (१) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले के संबंध में निदेश दे ऐसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पूछताछ करने का अधिकार होगा ।

(२) राज्य सरकार, प्रत्येक मामले में, पूछताछ करवाने के अपने आशय की विश्वविद्यालय को सूचना देगी तथा विश्वविद्यालय ऐसी पूछताछ में प्रतिनिधित्व करने की हकदार होगी । ऐसी पूछताछ के परिणाम के संदर्भ में अपने अवलोकन विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी तथा उस पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने पश्चात्, विश्वविद्यालय को उस पर की जाने वाली कार्यवाही के लिए सलाह दे सकेगी तथा ऐसी कार्यवाही करने के लिए समय परिसीमा नियत कर सकेगी ।

(३) विश्वविद्यालय, ऐसी नियत समय की परिसीमा के भीतर, राज्य सरकार को उसके द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्यवाहियाँ करने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट करेगी ।

(४) यदि उप-धारा (२) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विश्वविद्यालय कार्यवाही नहीं करती है या यदि विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही राज्य सरकार की राय में संतोषजनक नहीं है तब, सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा किये गये किसी स्पष्टीकरण या प्रतिनिधित्व पर विचार करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी तथा विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

राज्य सरकार का वित्तीय नियंत्रण ।

९५. राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय,—

(क) अधिकारियों, अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के उसके द्वारा सृजित कोई नये पद नहीं भरेगी ;

(ख) अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों तथा अन्य लाभों को पुनरक्षित नहीं करेगी ;

(ग) अपने किन्हीं अधिकारियों, अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों को कोई विशेष वेतन, भत्ता या किसी भी प्रकार का कोई अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक अनुदत्त नहीं करेगी जिससे आर्थिक उलझन पैदा होती हो तथा उसमें अनुग्रहपूर्वक अदायगी या अन्य लाभ भी सम्मिलित है ;

(घ) रखी गई निधियों को किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाएगी ; या

(ङ) किसी विकास कार्य में कोई व्यय उपगत नहीं करेगी ।

विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों तथा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध ।

९६. (१) विश्वविद्यालय तथा मान्यताप्राप्त संस्थाएँ, अध्यापन स्तर तथा प्रशासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए सुसंगत, अपने नियंत्रणाधीन अध्यापन तथा अध्यापनेतर पदों पर नियुक्त करते समय अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु पर्याप्त संख्या में पदों को आरक्षित रखने के लिए विश्वविद्यालय आवश्यक परिनियम बनाएगी ।

(२) इस अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जिन श्रेणियों के पदों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों हेतु आरक्षित रखा जाएगा, उन पदों के संबंध में उनके लिए आरक्षित पदों की प्रतिशतता के बारे में तथा ऐसे आरक्षण से संबंधित किसी अन्य मामले में, विश्वविद्यालय को समय-समय पर निदेश देने की राज्य सरकार को शक्ति होगी तथा विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

दीक्षांत समारोह ।

९७. उपाधियाँ प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमों द्वारा विहित रीत्या किया जाएगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

९८. इस अधिनियम तथा परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकरण आदेश द्वारा अपनी शक्ति को परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों को बनाने की शक्तियों के सिवाय अपने नियंत्रणाधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण के प्रति इस शर्त के अध्यधीन प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोगार्थ, अंतिम उत्तरदायित्व उस पदाधिकारी या प्राधिकरण में निहित बना रहेगा जिसने उसे प्रत्यायोजित किया है ।

विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना।

९९. (१) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन तथा अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी समस्त शक्तियाँ कुलपति में निहित होंगी ।

(२) कुलपति, आदेश द्वारा, इस धारा के अधीन अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को जो कि वह उचित समझे, ऐसे अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा जिसे वह उस निमित्त नामित करें ।

(३) कुलपति, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि छात्र या किन्हीं छात्रों को निष्कासित कर दिया जाए या विशिष्ट अवधि के लिए निकाल दिया जाए या महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय के विभाग में अध्ययन, पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में उल्लिखित अवधि के लिए प्रवेश नहीं दिया जाए या जुर्माने से दंडित किया जाए जो कि तीन सौ रुपयों से अधिक नहीं होगा या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्था या विभाग द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं से ऐसी अवधि के लिए जो पाँच वर्षों से अधिक नहीं होगी, विवर्जित किया जाए या कि छात्र या छात्रों का संबंध परीक्षा या परीक्षाओं के परीक्षाफल जिसमें वह या वे बैठे थे, रद्द कर दिया जाए ।

(४) कुलपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विश्वविद्यालय के संकायों, संचालित तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्रमुखों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग के प्रमुखों को अपने प्रभाराधीन छात्रों के उपर ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकार प्राप्त होगा कि उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक हो ।

(५) कुलपति, संस्थाओं के प्रमुखों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग के प्रमुखों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलपति कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अनुशासन तथा उचित आचरण संबंधी नियम बनाएगा जो कि समस्त संस्थाओं के छात्रों को भी लागू होंगे तथा प्रत्येक छात्र को ऐसे नियमों की प्रती दी जाएगी ।

(६) संस्थाओं के प्रमुख अनुशासन तथा उचित आचरण संबंधी ऐसे आनुषंगिक नियम बना सकते हैं जो कि आवश्यक समझें और जो कि कुलपति द्वारा बनाये गये नियमों सें असंगत नहीं होंगे तथा प्रत्येक छात्र को ऐसे आनुषंगिक नियमों की प्रती दी जाएगी ।

(७) प्रवेश लेते समय, प्रत्येक छात्र, इस प्रभाव के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि वह खुद को कुलपति तथा विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों तथा प्राधिकरणों तथा संस्थाओं के प्राधिकरणों के अनुशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन लाता है तथा तन्निमित्त कुलपति द्वारा बनाये गये नियमों तथा जहाँ तक वे लागू हों संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा बनाए गए आनुषंगिक नियमों का पालन करेगा तथा उसे मानेगा ।

(८) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित न की गई संस्था के छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी समस्त शक्तियाँ, ऑर्डिनेसों द्वारा विनियमित रीत्या संस्था के प्रमुख में निहित होंगी ।

कृत्यों तथा आदेशों का संरक्षण ।

१००. विश्वविद्यालय या उसके किसी प्राधिकरणों या निकायों या पदाधिकारियों द्वारा, सद्भावनापूर्वक किया गया समस्त कार्य या पारित आदेश अंतिम होंगे तथा तद्नुसार, इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या करने के लिए आशयित किसी बात के लिए ऐसे निकायों या पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जाएगी ।

विश्वविद्यालय की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों का समावेशन।

१०१. (क) विश्वविद्यालय के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय से या सरकार से प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को अपनी सेवा में लेना विधिमान्य होगा ।

(ख) तत्समय प्रवर्तमान किसी बात के होते हुए भी, किसी अन्य विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्त पर लिया कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों तथा तद्धीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों के अध्यधीन होगा :

परंतु, यदि ऐसा व्यक्ति चाहता हो कि उसे विश्वविद्यालय की सेवा में स्थायी रुप से आमेलित किया जाए तो वह उसकी प्रतिनियुक्ति के दिनांक से दो वर्ष के भीतर लिखित सूचना द्वारा इस प्रकार सूचित करता है ; तथा तदुपरांत यदि विश्वविद्यालय उसे उसकी सेवा में स्थायी रुप से आमेलित करती है तब राज्य सरकार या अन्य विश्वविद्यालय के अधीन उसके द्वारा की गई सेवा या समझी गई सेवा, इस विश्वविद्यालय के अधीन सेवा समझी जाएगी तथा वह विश्वविद्यालय से सेवा के ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन पारिश्रमिक छूट्टी तथा पेंशन के संबंध में तथा अनुशासनिक विषयों के संबंध में ऐसे अधिकारों या उसके समनुरुप अधिकारों को, जो बदलती हुई परिस्थितियाँ अनुमति दें तथा जो इस अधिनियम के प्रारम्भण दिनांक से सद्य पूर्व वह व्यक्ति जिनके लिए हकदार था उससे कम अनुकूल न हो ऐसे अधिकार, प्राप्त करने का हकदार होगा ; या

(ग) उसे, विश्वविद्यालय या, यथास्थिति, राज्य सरकार की सेवा में प्रतिवर्तित होने के लिए अनुमति दी जा सकेगी ; तथा तदुपरांत उसे ऐसे प्रारम्भण के सद्य पूर्व उसे लागू सेवा के निबंधनों तथा शर्तों पर, नोटिस में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा के लिए प्रतिवर्तित होने की अनुमति दी जाएगी ;

(घ) यदि खण्ड (ख) के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई व्यक्ति, समय पर नोटिस देने में असफल रहता है तब, वह खण्ड (ख) के परन्तुक के अधीन, विश्वविद्यालय की सेवा में स्थायी रुप से आमेलित किये जाने के लिए चुना गया समझा जाएगा ; या

(ङ) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये किसी व्यक्ति के मामले में, यदि विश्वविद्यालय की राय में, ऐसा व्यक्ति उपयुक्त नही हैं या आवश्यकता से अधिक है तब, विश्वविद्यालय, सरकार या संबंधित विश्वविद्यालय या, यथास्थिति, सरकार की सेवा में उसे सप्रत्यावर्तित करने के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भण से दो वर्ष की अवधि के भीतर, उसे संबंधित विश्वविद्यालय या, यथास्थिति, राज्य सरकार के कार्यालय में हटा सकेगा। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा निवेदन किये जाने पर, राज्य सरकार या वह विश्वविद्यालय या, यथास्थिति, सरकार उस व्यक्ति को सेवा पर दोबारा रखेगी।

केवल गठन रिक्तियाँ में अनियमितता आदि में त्रुटी के आधार पर कार्य तथा कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी।

१०२. इस अधिनियम के अधीन या विनियमों द्वारा गठित विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद या किसी प्राधिकरण का कोई कृत्य या कार्यवाही, विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यकारी परिषद, प्राधिकरण या समिति के गठन में कोई विद्यमान रिक्ति या त्रुटि या त्रुटि के केवल आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या यह कि, वहाँ किसी ऐसे प्राधिकरण, निकाय या समिति की प्रक्रिया में कोई अनियमितता होती है तो, विचाराधीन मामलों की योग्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अध्याय-चौदह

अस्थायी उपबंध

सन् १९८९ का महा. २२।

सन् १९८९ का निरसन और पदों को रिक्त करना।

१०३. (१) नियत दिन से—

(एक) डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९८९ निरसित किया जाता है।

(दो) विद्यमान विश्वविद्यालय की विद्यमान समितियाँ और अधिकारियों को उनके पदों से रिक्त किया हुआ समझा जाएगा।

(२) ऐसे विद्यमान विश्वविद्यालय में नामंकित किए गए छात्रों को, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए विश्वविद्यालय के छात्रों के रुप में प्रवेश दिया गया समझा जाएगा।

प्रथम कुलपति, प्रथम रजिस्ट्रार और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति।

१०४. धारा १३,१७ और १९ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी —

(क) राज्य सरकार ने नियत किए शर्तों और उपबंधों के अनुसार तीन वर्षों के लिए प्रथम कुलपति की यथाशीघ्र राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा पाँच वर्षों के लिए यथाशीघ्र प्रथम रजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी और वह राज्य सरकार ने नियत किए शर्तों और उपबंधों के अनुसार होगी।

(ग) राज्य सरकार द्वारा पाँच वर्षों के लिए यथाशीघ्र वित्त अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी और वह राज्य सरकार ने नियत किए शर्तों और उपबंधों के अनुसार होगी।

परंतु, इस धारा का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि राज्य सरकार को कुलपति, रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी की नियुक्ति में नियत दिन पर ऐसे पदों को धारण करने से रोका जा रहा है।

१९८९ का महा. २२।

विद्यमान कर्मचारी वर्ग का बने रहना।

१०५. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९८९ के अधीन डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय सुसंगत परिनियम के अनुसार यथास्थिति विश्वविद्यालय के कर्मचारी या नियोजित कर्मचारीयों की समिती इस अधिनियम के अधीन गठित की है ऐसा समझा जाएगा।

प्रथम कुलपति के कर्तव्य।

१०६. (१) प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकांरियों के गठन के लिए व्यवस्था बनाने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभण से दो साल की अवधि के भीतर व्यवस्था गठित करेगा। तथापि, राज्य सरकार यदि आवश्यक हो तो कर उक्त अवधि का विस्तार सकती है; हांलाँकि विस्तारित अवधि कुल तीन साल से अधिक नहीं होगी।

(२) प्रथम कुलपति, विश्वविद्यालय के इस अधिनियम की और कुलाधिपति की पूर्व अनुमति के प्रावधानों के अधीन पहले विधियों, नियमों, विनियमों को सुसंगत बनाने और इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्य को प्रभावी करने के लिए आवश्यक नियम करेगा।

(३) कुलपति उप-धारा (१) के अधीन प्रत्येक प्राधिकरण की ऐसी तारीख पर अपनी पहली बैठक का आयोजन करे ताकि प्रत्यक्ष रुप से निदेश दे सके।

प्रथम कार्यकारी परिषद का गठन।

१०७. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण दिनांक से धारा २७ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे समय तक उस धारा के उपबंधों के अनुसरण में गठित नहीं होती है ऐसे समय में, राज्य सरकार नामित करें ऐसे सदस्यों से गठित कार्यकारी परिषद, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कार्यकारी परिषद समझी जाएगी।

(२) रजिस्ट्रार, कार्यकारी परिषद के पदेन सचिव होंगे किंतु उन्हें कार्यकारी परिषद का सदस्य नहीं माना जायेगा।

१०८. धारा ३० में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब तक उस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्यकारी परिषद गठित नहीं होती है ऐसे समय में, राज्य सरकार नामित करें ऐसे सदस्यों से गठित कार्यकारी परिषद, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कार्यकारी परिषद समझी जाएगी।

कतिपय परीक्षाओं के रुप में व्यावृत्ति।

१०९. इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी,—

(क) कोई छात्र जो, नियत दिन से ठीक पूर्व तुरंत, अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट किसी भी विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, वास्तुकला परिषद तथा फार्मसी परिषद के कार्यक्षेत्र के अधीन आ रहा है, इनमें प्रबंधन को छोडकर विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपाधि के लिए अध्ययन किया गया था तो ऐसी परीक्षा के परिणाम स्वरुप जिसके लिए अर्हता प्राप्त की है उसे अपने-अपने विश्वविद्यालयों से संबंधित उपाधि प्रदान की जाएगी।

(ख) यदि अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, वास्तुकला परिषद तथा फार्मसी परिषद के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले प्रबंधन को छोडकर किन्हीं पाठ्यक्रमों में कोई परीक्षा ली है उसका परिणाम प्रकाशित किया गया है किंतु, उससे संबंधित उपाधियाँ प्रदत्त या जारी नहीं की गई हैं या ऐसी किसी परिक्षाओं के परिणाम उक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित नहीं किए गए हैं तब, ऐसी परीक्षा, इस अधिनियम के अधीन ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा ली गई समझी जाएगी और वह ऐसी उपाधियाँ प्रदत्त या जारी करने के लिए और ऐसी परिक्षाओं के परिणाम घोषित करने के लिए सक्षम होगी।

सन १९९४ का महा. ३५।

११०. नियत दिन के प्रभाव से, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट विस्तार के लिए संशोधन किया जाएगा। सन १९९४ में संशोधन।

कठिनाइयों का निराकरण।

१११. (१) यदि इस अधिनियम के प्रारंभण के बाद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के प्रथम गठन या पुनर्गठन संबंधी या इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, कुलाधिपति से परामर्श करने के बाद, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों तथा प्रयजनों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

परंतु, इस अधिनियम के प्रारंभण दिनांक से दो वर्षों बाद ऐसा कोई भी आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची–१

[धारा ४(२) और १०९ देखिए]

अनुक्रमांक (१)	विश्वविद्यालय का नाम (२)
(१)	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई ।
(२)	पुणा विश्वविद्यालय, पुणा ।
(३)	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापूर ।
(४)	डा. बाबासाहब आम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद ।
(५)	स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय, नांदेड ।
(६)	श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई ।
(७)	संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती ।
(८)	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय, नागपूर ।
(९)	उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगाँव ।
(१०)	सोलापूर विश्वविद्यालय, सोलापूर ।
(११)	गोंडवाना विश्वविद्यालय, गडचिरोली ।

अनुसूची–२

[देखिए धारा ४(५)]

प्रादेशिक केंद्र और उप-केंद्र और उनके अधिकारिता क्षेत्र

निम्न सारणी में दिखाए गए उनके जिलावार भौगोलिक स्थानों के आधार पर संबंधित प्रादेशिक केंद्र या उप-केंद्र विद्यालय या संस्था को संलग्न किए जाएँगे :—

जिल्हा (१)	प्रादेशिक केंद्र (२)	उप-केंद्र (३)
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और ठाणे ।	—	—
मुंबई और मुंबई उपनगर ।	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई ।	—
औरंगाबाद, बीड और जालना ।	डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर । मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद ।	—
लातुर, परभणी, हिंगोली और नांदेड ।	डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर । मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद ।	स्वामी रामानंद तीर्थ । मराठवाडा विश्वविद्यालय, नांदेड ।
धुले, जलगाँव और नंदुरबार ।	डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर । मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद ।	उत्तर महाराष्ट्र, विश्वविद्यालय, जलगाँव ।
अहमदनगर, नाशिक और पुणा ।	पुणा विश्वविद्यालय ।	—
कोल्हापूर, सांगली और सातारा ।	पुणा विश्वविद्यालय ।	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापूर ।
सोलापूर और उस्मानाबाद ।	पुणा विश्वविद्यालय ।	सोलापूर विश्वविद्यालय, सोलापूर ।
नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली और गोंदिया ।	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज । नागपूर विश्वविद्यालय, नागपूर ।	—
अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वासिम और यवतमाल ।	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज । नागपूर विश्वविद्यालय, नागपूर ।	संत गाडगे बाबा अमरावती । विश्वविद्यालय, अमरावती ।

अनुसूची-३
(धारा ११० देखिए)

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४, की धारा ६ की उप-धाराएँ (२) से (४) के स्थान में निम्न उप-धाराएँ रखी जाएँगी।

"(२) धारा ३ की उप-धाराएँ (३) और (४) के उपबंधो के अध्यधीन, विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर स्थित कोई भी शिक्षा संस्थाएँ, विश्वविद्यालय की सहमति और राज्य सरकार की मंजूरी को छोड़कर, विधि द्वारा स्थापित की गई किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से संबद्ध नहीं होगी या किसी विशेषाधिकार को ग्रहण नहीं करेगी :

परंतु, यदि शिक्षा संस्था विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध होना या विशेषाधिकार ग्रहण करना चाहती है तो ऐसे संबद्ध या ग्रहण राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय होंगे :

परंतु, आगे यह की, यदि विश्वविद्यालय जिसकी अधिकारिता किसी राज्य या क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है तो विश्वविद्यालय के क्षेत्र में अनुसंधान का कोई केंद्र या अन्य युनिट स्थापन करना चाहती है तो उसे राज्य सरकार की मंजूरी से कर सकेगी।

(३) इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की दिनांक से पूर्व अन्य विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर किन्हीं शिक्षा संस्थांओं द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला कोई विशेषाधिकार, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना प्रत्याहृत नही किया जाएगा।

(४) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, वास्तुकला परिषद तथा फार्मसी परिषद के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाने वाले जो प्रबंधन है उन्हें छोड़कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपाधि और उक्त स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले महाराष्ट्र राज्य के सभी महाविद्यालय, संस्थाएँ और स्वायत्त संस्थाओं को डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ के अधीन स्थापित विशेषाधिकार ग्रहण करने का या संबद्ध होने का विकल्प होगा।"

(यथार्थ अनुवाद),
स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 2014.

THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३० जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

संगितराव पाटील,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३०, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ३० जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९६६ का महा. ४१।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है, अर्थात :–

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१४, कहलाये।

सन् १९६६ की महा. ४१ की धारा १५० में संशोधन।

सन् १९६६ का महा. ४१।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा १५० की, उप-धारा (२) में, निम्न परंतुक जोडे जाएँगे अर्थात् :—

परंतु, जहाँ भंडारकरण साधनों के उपयोग द्वारा धारा १४८ क के अधीन अधिकारों के अभिलेखों को अनुरक्षित किया जाता है, वहाँ यथाशीघ्र **तालुका** में **तहसीलदार** धारा १५४ के अधीन संसूचना प्राप्त करता है तो **तहसीलदार** कार्यालय का **तलाठी,** अधिकारों के अभिलेखों से वर्णित समस्त व्यक्तियों को या नामांतरण हित रखनेवाले नामांतरण रजिस्टर से और किसी अन्य व्यक्ति को जिसका उसमें हित होने का विश्वास करने का कारण है, और लघुसंदेश सेवा या इलेक्ट्रानिक मेल या विहित किए जाए ऐसे किसी साधन द्वारा ग्राम के संबंधित **तलाठी** को भी भेजी जाएगी ; और ऐसी संसूचना की प्राप्ति पर ग्राम का **तलाठी,** तुरंत नामांतरण रजिस्टर में प्रविष्टी करेगा :

परंतु, यह कि, प्रथम परंतुक के अधीन यथा उपबंधित कोई संसूचना, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ के अधीन दस्तावेज रजिस्टर करनेवाले अधिकारी के सामने, जो व्यक्तिशः दस्तावेज निष्पादन करता है, उन व्यक्तियों को **तहसीलदार** कार्यालयों के **तलाठी** द्वारा भेजी जाना अपेक्षित नहीं होगी ।"। सन् १९०८ का १६।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXI OF 2013.

THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० दिसंबर २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXI OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २० दिसंबर २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

सन् १९६१ का महा. २४।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३, कहलाए।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ ग ख में संशोधन।

सन् १९६१ का महा. २४।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० की धारा ७३ ग ख की, उप-धारा (१५) में " ३१ दिसंबर २०१३ के पूर्व " शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान में " ३१ दिसंबर २०१४ के पूर्व " शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद)
स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXII OF 2014.

THE MAHARASHTRA FOREST PRODUCE (REGULATION OF TRADE) (AMENDMENT) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३ जुलाई २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

संगितराव पाटील,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. 32 OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA FOREST PRODUCE (REGULATION OF TRADE) ACT, 1969.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ५ जुलाई २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र वन उपज (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, १९६९ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र वन उपज (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, १९६९ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :— सन् १९६९ का महा. ५७।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

१. (एक) यह अधिनियम महाराष्ट्र वन उपज (व्यापार का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०१४, कहलाये।

(दो) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

सन् १९६९ का महा. ५७ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र वन उपज (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, १९६९ (जिसे इसमें, आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ में, खण्ड (ज) के पश्चात, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :- सन् १९६९ का महा. ५७ ।

" (ज-१) " ग्राम वन प्रबंधन समिति " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त भारतीय वन अधिनियम, १९२७ और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन, ग्राम वन के रूप में किसी भी ग्राम समूह या ग्राम पंचायत का इस निमित्त जारी किए गए राज्य सरकार के आदेश द्वारा समनुदेशित किया गया है जहाँ सरकार का अधिकार उस या किसी भूमि पर है जों संरक्षित वन के रूप में गठित की गई या संरक्षित वन कहे जानेवाले किसी भाग का प्रबंधन और संरक्षण करने के लिए महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा ४९ के अधीन गठित की गई संयुक्त वन प्रबंधन समिति या कोई ऐसी समिति चाहे जो भी नाम हो, उससे है ; " । सन् १९५९ का ३। सन् १९२७ का १६।

सन् २०१४ का महा. ३२ ।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, निम्न परंतुक जोडा जाएगा, अर्थात् :– सन् १९५९ का महा. ५७ की धारा ३ में संशोधन।

" परंतु, ग्राम वन प्रबंधन समितियों को निशान लगाए गए या समुदेशित किए गए क्षेत्र, महाराष्ट्र वन उपज (व्यापार का विनयमन) अधिनियम, २०१४ के प्रारम्भण की दिनांक से ऐसे इकाईयों से अपवर्जित किये जायेंगे ।"।

४. मूल अधिनियम की धारा ५ मे, उप-धारा (२) के पश्चात, निम्न उप धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :– सन् १९६९ का महा. ५७ की धारा ५ में संशोधन।

सन् १९२७ का १६ ।

" (२क) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ग्राम वन प्रबंधन समिति, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, निशान लगाए या उसे समनुदेशित किए गए क्षेत्रों से संग्रहित वन उपज के परिवहन करने और संचय करने की हकदार होंगी ।

५. मूल अधिनियम की धारा ६ की उप-धारा १ में, विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :– सन् १९६९ का महा. ५७ की धारा ६ में संशोधन।

" परंतु, आगे यह कि, संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, एक सदस्य ग्राम वन प्रबंधन समिति का प्रतिनिधि होगा ।

६. मूल अधिनियम की धारा ७ में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :– सन् १९६९ का महा. ५७ की धारा ७ में संशोधन।

" परंतु, यह भी कि, निशान लगाए गये या समनुदेशित किए गये या ग्राम वन प्रबंधन समिति के क्षेत्र से संग्रहित की गई वन उपज के लिए, किमत ग्राम वन प्रबंधन समिति द्वारा नियत की जाएगी और इस धारा के उपबंध, **यथावश्यक परिवर्तन** समेत, किमत नियत करने के लिए लागू होंगे। "।

७. मूल अधिनियम की धारा ८ में, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :– सन् १९६९ का महा. ५७ की धारा ८ में संशोधन।

" परंतु, निशान लगाए या समनुदेशित किए गये ग्राम वन प्रबंधन समिति के क्षेत्र से संग्रहित की गई वन उपजों के लिए, ऐसे डिपो का स्थान ऐसी समिति द्वारा नियत किया जाएगा और कामकाज के घंटे सुप्रकट रूप से सूचना बोर्ड पर प्रयोजन के लिए ऐसे सभी डिपों पर प्रदर्शित किए जायेंगे ।

८. मूल अधिनियम की धारा ९ में,– सन् १९६९ का महा. ५७ की धारा ९ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में, विद्यमान परंतुक के बाद, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु आगे यह कि, ग्राम वन प्रबंधन समिति, ऐसी समिति द्वारा नियत की गई किमत पर, निशान लगाये गये या समनुदेशित किये गये क्षेत्र से संग्रहीत वन उपज खरीद सकती है और ऐसी समिति, निशान लगाए गये या समनुदेशित किये गये क्षेत्र से संग्रहीत वन से अन्य क्षेत्रों से वन उपज खरीदने के लिए सक्षम नहीं होगी । " ।

(ख) पार्श्व टिप्पणी में " या एजेंट " शब्दों के बाद, " या ग्राम वन प्रबंधन समिति " शब्द निविष्ट किए जाएँगे ।

९. मूल अधिनियम धारा १० के लिए, निम्न, परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— सन् १९६९ का महा. ५७ की धारा १० में संशोधन।

" परंतु, ग्राम वन प्रबंधन समिति को स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी । " ।

१०. मूल अधिनियम धारा १२ के लिए निम्न, परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— सन् १९६९ का महा. ५७ की धारा १२ में संशोधन।

" परंतु, ग्राम वन को समनुदेशित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किए गए निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, ग्राम वन प्रबंधन समिति द्वारा खरीदी गई या संग्रहीत की गई कोई वन उपज, जैसे उचित समझे ऐसी रीत्या में बचेगी या से अन्यथा व्यवस्था करेगी ।"।

(यथार्थ अनुवाद)

ललिता शि. देठे,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIII OF 2014.

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (MAHARASHTRA AMENDMENT) ACT, 2006.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक ३ अगस्त २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIII OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973, IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३ सन् २०१४।

(जो कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २६ अगस्त २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में, अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :— सन् १९७४ का २ ।

१. यह अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता, (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २००६, कहलाये।

सन् १९७४ का अधिनियम क्र. २ की धारा २४ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त दंड प्रक्रिया संहिता, सन् १९७३ की धारा २४ में,— सन् १९७४ का २ ।

(क) उप-धारा (६) में, परंतुक, अपमार्जित किया जाएगा ;

(ख) उप-धारा (६) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

" (६-क) उप-धारा (६) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, राज्य सरकार, उप-धारा (४) तथा (५) के उपबंधों के अध्यधीन, किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो सात वर्ष की अवधि से कम न हो ऐसी अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में है उस जिले के लिए लोक अभियोजक के रुप में या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।

(यथार्थ अनुवाद)
स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIV OF 2014.

THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS AND MUNICIPAL COUNCILS (SECOND AMENDMENT) ACT.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १४ अगस्त २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. एन सईद,
शासन सचिव एवं विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIV OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATIONS ACT, 1949, THE CITY OF NAGPUR CORPORATION ACT, 1948 AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP ACT, 1965.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २६ अगस्त २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

मुंबई नगरनिगम अधिनियम, मुंबई प्रान्तीय नगरनिगम अधिनियम, १९४९, नागपूर शहर निगम अधिनियम, १९४८ और महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

सन् १९८८ का मुंबई ३। सन् १९४९ का मुंबई ४९। सन् १९५० का मध्य प्रान्त तथा बरार २। सन् १९६५ का ३०।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों हेतु, मुंबई नगरनिगम अधिनियम, मुंबई प्रान्तीय नगरनिगम अधिनियम, १९४९, नागपूर शहर निगम अधिनियम, १९४८ और महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है, इसलिए, भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर निगम तथा नगरपरिषद (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४, कहलाए।

अध्याय दो

मुंबई नगरनिगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १९८८ का मुंबई ३ की धारा ५२१ में संशोधन। सन् १९८८ का मुंबई ३। **२.** मुंबई नगरनिगम अधिनियम (इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में, "मुंबई निगम अधिनियम" के रुप में निर्दिष्ट कहा गया है) की धारा ५२१ की, उप-धारा (१) यथा पुनःक्रमांकित की जाएगी; और इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :–

" (२) प्रत्येक पार्षद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ की धारा २ के खंड (ग) के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझा जाएगा । "

सन् १९८८ का मुंबई ३ की धारा ५२१क में निविष्टि। **३.** मुंबई निगम अधिनियम की धारा ५२१ के बाद, निम्नलिखित धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :–

पूर्व मंजूरी देने की राज्य सरकार की शक्ति। " **५२१क.** दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९७ तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमस १९८८ की धारा १९ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पार्षद के मामले में, सरकार उक्त धाराओं १९७ तथा १९ के अधीन यथावश्यक पूर्व मंजूरी देने के लिए सक्षम होगी।

अध्याय तीन

मुंबई प्रान्तीय नगरनिगम अधिनियम, १९४८ में संशोधन।

सन् १९४९ का मुंबई ४९ की धारा ४८२ में संशोधन। **४.** मुंबई प्रान्तीय नगरनिगम अधिनियम, १९४९ (इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में, " प्रान्तीय निगम अधिनियम" के रुप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा ४८२ की, उप-धारा (२) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी अर्थात् :– सन् १९४९ का मुंबई ४९।

" (३) प्रत्येक पार्षद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ की धारा २ के खंड (ग) के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझा जाएगा । " सन् १९८८ का ४९।

सन् १९४९ का मुंबई ४९ की धारा ४८२क में निविष्टि। **५.** प्रान्तीय निगम अधिनियम की धारा ४८२ के बाद, निम्नधारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :–

पूर्व मंजूरी देने की सरकार की शक्ति। " **४८२क.** दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९७ तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ की धारा १९ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पार्षद के मामले में, सरकार उक्त धाराओं १९७ तथा १९ के अधीन यथावश्यक पूर्व मंजूरी देने के लिए सक्षम होगी। सन् १९७४ का २। सन् १९८८ का ४९।

अध्याय तीन

नागपूर शहर निगम अधिनियम, १९४८ में संशोधन।

सन् १९५० के मध्य प्रान्त तथा बरार २ की धारा ३९४ में संशोधन। **६.** नागपूर शहर निगम अधिनियम, १९४८ (इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में, " नागपूर निगम अधिनियम" किया गया) की धारा ३९४ उसकी, उप-धारा (१) के रुप में पुनःक्रमांकित की जाएगी; और इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) के बाद, निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी अर्थात् :– सन् १९५० का मध्य प्रति बरार २।

सन् १९८८ का ४९। " (२) प्रत्येक पार्षद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ की धारा २ के खंड(ग) के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझा जाएगा ।

सन् १९५० के मध्य प्रान्त तथा बरार २ की धारा ३९४क की निविष्टि।

७. नागपूर निगम अधिनियम की धारा ३९४ के बाद, निम्नलिखित धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

सन् १९८८ का ४९। सन् १९७४ का २। पूर्व मंजूरी देने की सरकार की शक्ति।

" **३९४क.** दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९७ तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ की धारा १९ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सभासद के मामले में, सरकार उक्त धाराओं १९७ तथा १९ के अधीन यथावश्यक पूर्व मंजूरी देने के लिए सक्षम होगी।

अध्याय चार

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन।

सन् १९६५ का महा. ४०। सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ३०२ में संशोधन।

८. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में, " नगर परिषद अधिनियम" कहा गया है) की धारा ३०२ उसकी, उप-धारा (१) पुन:क्रमांकित की जाएगी; तथा इस प्रकार पुन:क्रमांकित उप धारा (१) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी अर्थात् :–

सन् १९८८ का ४९। " (२) " प्रत्येक पार्षद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, की धारा २ के खंड (ग) के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझा जाएगा ।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ३०२क में निविष्टि।

९. नगर परिषद अधिनियम की धारा ३०२ के बाद, निम्नलिखित निविष्ट होगी, अर्थात् :–

सन् १९७४ का २। सन् १९८८ का ४९। पूर्व मंजूरी देने की सरकार की शक्ति।

" **३०२क.** दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९७ तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ की धारा १९ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पार्षद के मामले में, सरकार उक्त धाराओं १९७ तथा १९ के अधीन यथावश्यक मंजूरी देने के लिए सक्षम होगी।

(यथार्थ अनुवाद)

सु. का. जोंधळे,

भाषा संचालक महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.